केवल शासकीय प्रयोजनार्थ

(प्रतिवेदन क्रमांक–469)

शिक्षा विभाग द्वारा संचालित माध्यमिक शिक्षा मद अन्तर्गत **"Information & Communication Technology Scheme"** का मूल्यांकन अध्ययन

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	i - vii
प्रथम	अध्ययन संरचना	1 – 9
द्वितीय	प्रगति समीक्षा	10 – 27
तृतीय	अध्ययन के परिणाम	28 – 39
चतुर्थ	कठिनाइयाँ एवं सुझाव	40 – 43
	परिशिष्ट–I	44 – 45
	परिशिष्ट–II	46
	परिशिष्ट–III	47 – 48

———

उद्‌बोधन

राज्य में सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्रान्ति के युग में "सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना" (Information & Communication Technology Scheme) के तहत कम्प्यूटर शिक्षा Boot Model के आधार पर चयनित 4500 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को संचार एवं तकनीकी सेवाओं का विस्तृत ज्ञान उपलब्ध करवाने के लिए मार्च 2008 में दो चरणों में प्रारम्भ की गयी।

योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक 120.83 करोड़ रुपये के विरूद्ध 86.97 करोड़ रुपये व्यय कर 40.35 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

मूल्यांकन से यह परिलक्षित हुआ है कि माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थी योजनान्तर्गत संचालित कम्प्यूटर शिक्षा के माध्यम से ज्ञानार्जन कर अपना भविष्य उज्ज्वल बनाने हेतु प्रयासरत है।

मुझे आशा है कि प्रतिवेदन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में कार्यकारी विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

दिनांक : फरवरी 2014
स्थान : जयपुर

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

आमुख

राज्य में कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र–छात्राओं को सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के साथ–साथ कम्प्यूटर शिक्षा देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा मद अन्तर्गत सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी योजना(Information & Communication Technology Scheme) राज्य के चयनित 4500 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रियान्वित की गयी है।

योजना के मूल्यांकन हेतु 7 जिलों अजमेर, भरतपुर, झुन्झुनू, जयपुर, जोधपुर, कोटा तथा चित्तौडगढ़ के 28 विद्यालयों का चयन किया जाकर 531 लाभार्थी विद्यार्थियों से विचार प्राप्त किये गये तथा विभाग की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा कर अध्ययन परिणामों को प्रतिवेदन में समावेशित किया गया है।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में अनुभूत कठिनाइयों को चिन्हित कर प्रतिवेदन में अंकित करते हुए उनके निराकरण हेतु व्यावहारिक सुझाव भी दिये गये है। मैं आशा करती हूँ कि प्रतिवेदन में दिये गये सुझाव योजना के प्रभावी संचालन हेतु कार्यकारी विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

दिनांक – 14 फरवरी 2014
स्थान – जयपुर

(अंजना बोगावत)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिवेदन प्रकाशन में सहयोगी अधिकारी एवं कार्मिक

श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत
संयुक्त निदेशक

डॉ. (श्रीमती) लेखा महला
मूल्यांकन अधिकारी

डॉ. राजवीर सिंह
अनुसंधान सहायक

श्री सीताराम यादव
अनुसंधान सहायक

श्रीमती इन्द्रा शर्मा
अनुसंधान सहायक

श्री कैलाशपति शर्मा
अनुसंधान सहायक

श्री बृजमोहन
स्टेनो

श्री रमेश प्रकाश गोयल,
कनिष्ठ लिपिक (रिजोग्राफी)

क्षेत्र कार्य सम्पादन

श्री कैलाशचन्द गुप्ता एवं श्री भूपेन्द्र शर्मा, अन्वेषक, संभाग मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर

श्री भरत राव, अन्वेषक, संभाग मूल्यांकन कार्यालय, अजमेर

श्री महेन्द्र शर्मा, अन्वेषक, संभाग मूल्यांकन कार्यालय, कोटा

श्री ओमप्रकाश मेहता, अन्वेषक, संभाग मूल्यांकन कार्यालय, उदयपुर

श्री अनिल मालोदिया, अन्वेषक, संभाग मूल्यांकन कार्यालय, जोधपुर

श्री अनिल पालीवाल, संकलनकर्त्ता, संभाग मूल्यांकन कार्यालय, भरतपुर

****

शिक्षा विभाग द्वारा संचालित माध्यमिक शिक्षा मद अन्तर्गत "Information & Communication Technology Scheme" का मूल्यांकन अध्ययन

निष्पादक संक्षेप

I **परियोजना परिचय** :

राज्य में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की कम्प्यूटर लिटरेसी एण्ड स्टेडीज इन स्कूल्स योजना (क्लास प्रोजेक्ट) केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत (शत प्रतिशत सहायता) वर्ष 1993–94 से प्रारम्भ की गई तथा 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध करवाये गये।

आई.सी.टी.(Information & Communication Technology Scheme) योजना भारत सरकार के आदेश दिनांक 27.12.2004 को जारी निर्देशों के अनुसार यह योजना पूर्व में संचालित क्लास प्रोजेक्ट एवं शिक्षा तकनीकी योजना का परिवर्द्धित स्वरूप है। केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत राजकीय एवं अनुदान प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा दिये जाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राज्य के 2500 विद्यालयों में परियोजना Boot के आधार पर वर्ष 2008 में क्रियान्वयन करने की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसके तहत अगस्त 2008 से राज्य में योजना क्रियान्वित की जा रही है। आई.सी.टी. योजनान्तर्गत अगस्त 2008 से राज्य में कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र/छात्राओं के मध्य सूचना/संचार प्रौद्योगिकी के साथ–साथ कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु मण्डलवार 4500 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में Integrated Scheme for Computer Education (CE) and Information & Communication Technology (ICT) योजना क्रियान्वित की जा रही है।

II **योजना के उद्देश्य** :

आई.सी.टी. योजना निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्रियान्वित की जा रही है :–

(i) रा.उ.मा.वि. विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना एवं संचार तकनीकी के संवर्धन हेतु वातावरण निर्माण के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना।

(ii) एस.आई.ई.टी.(State Institutes of Educational Technologies) और इन्टरनेट के उपयोग से पढ़ाये जाने वाले अधिगम सामग्री का उपयोग किया जाना।

(iii) आई.सी.टी. उपकरणों की व्यवस्था से वर्तमान शैक्षणिक पाठ्यक्रम और विधियों को समृद्ध करना।

(iv) विद्यार्थियों को डिजीटल संचार और प्रभावी रोजगार के लिए आवश्यक कौशल को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाना।

(v) विद्यार्थियों को आई सी टी के उपकरणों (यथा–सॉफ्टवेयर संसाधनों) के माध्यम से प्रभावी शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करवाना।

(vi) विद्यालयों में स्वाध्याय की सहायता से समालोचक चिंतन और विश्लेषणात्मक कौशल का विकास करना। इससे कक्षा वातावरण शिक्षक केन्द्रिक से विद्यार्थी केन्द्रिक में स्थानान्तरित होगा।

III मूल्यांकन की आवश्यकता :

योजनान्तर्गत कार्यक्रम की महत्ता, उपयोगिता एवं योजना के प्रभावों का आंकलन करने हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया गया।

IV मूल्यांकन अध्ययन के उद्देश्य :

मूल्यांकन अध्ययन निम्न उद्देश्यों को मध्यनजर रखते हुये किया गया :–

(1) योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करना।

(2) योजनान्तर्गत कार्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित ढ़ांचागत उपकरणों का भौतिक सत्यापन एवं प्रशिक्षकों की भूमिका का आंकलन।

(3) योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध अर्जित उपलब्धियों का आंकलन करना तथा विद्यालय स्तर पर प्रभारी अधिकारी/उच्च स्तरों से योजना की स्थिति ज्ञात करना।

(4) विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय की सहायता से समालोचक चिन्तन एवं विश्लेषणात्मक कौशल के विकास की स्थिति का आंकलन करना।

(5) योजना संचालन में विभिन्न स्तरों पर अनुभूत कठिनाइयाँ ज्ञात कर योजना के प्रभावी संचालन हेतु सुझाव देना।

V **न्यादर्श परिकल्पना** :

निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा वर्ष 2008–09 में योजनान्तर्गत मण्ड़लवार राज्य के 2500 सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में संचालित जिलेवार छात्र/छात्राओं के विद्यालयों की सूचना उपलब्ध कराई गई। अतः योजना क्रियान्विति हेतु वर्ष 2008–09 की उपलब्ध कराई गई विद्यालयों की संख्या सम्बन्धी सूचना के आधार पर न्यादर्श रूप में अध्ययन किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा संचालित माध्यमिक शिक्षा मद अन्तर्गत आई.सी.टी. योजनान्तर्गत राज्य के विद्यालयों में दिये गये कम्प्यूटर शिक्षा के अध्ययन हेतु साधारण न्यादर्श प्रणाली का प्रयोग किया गया।

प्रथम स्तर पर सातों मण्डलों में से सबसे अधिक छात्र एवं छात्रा विद्यालयों की संख्या वाले एक–एक जिले का चयन किया गया। इस प्रकार सातों मण्डलों में से एक–एक जिला जयपुर प्रथम, चित्तौडगढ़, झुन्झुनू, अजमेर प्रथम, जोधपुर, कोटा एवं भरतपुर को चयनित किया गया।

द्वितीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिले से कुल 4 (3 छात्र + 1 छात्रा) विद्यालयों का चयन किया गया। विद्यालयों का चयन करते समय सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आई.सी.टी. योजनान्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा प्रदत्त विद्यालयों की जिला मुख्यालय से दूरी की सूची प्राप्त कर 2 विद्यालय अधिकतम दूरी वाले एवं 2 विद्यालय न्यूनतम दूरी वाले चयनित किये गये। प्रत्येक चयनित विद्यालय से साधारण न्यादर्श पद्धति से कक्षावार (कक्षा 9 से 12) प्रति कक्षा से 5 विद्यार्थियों का चयन कर साक्षात्कार किया गया। चयनित विद्यार्थियों से योजना के सम्बन्ध में उनके विचार प्राप्त किये।

न्यादर्श के अनुसार 7 मण्ड़लों में से 7 जिलों के 21 छात्र तथा 7 छात्रा विद्यालयों से प्रति विद्यालय 20 छात्र/छात्रा के अनुसार कुल 560 छात्र/छात्राओं का चयन किया जाना था किन्तु भरतपुर जिले के चयनित विद्यालयों में सर्वे के दौरान 51 छात्र/छात्रायें ही उपलब्ध हुये। इस प्रकार कुल 531 छात्र/छात्राओं से योजना के बारे में विचार एकत्रित किये गये।

VI **सन्दर्भ अवधि** :

अध्ययन से सम्बन्धित प्रलेख सूचनायें वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक की अवधि की तथा कार्यकारी अनुसूची, विद्यालय अनुसूची, विद्यार्थी अनुसूची एवं अवलोकन टिप्पणी सर्वे दिनांक से सम्बन्धित है।

VII राज्य स्तरीय वित्तीय प्रगति :

आई.सी.टी. योजनान्तर्गत गत तीन वर्षों में रुपये 12083.00 लाख रुपये के प्राप्त बजट के विरूद्ध रुपये 8696.69 लाख (71.97 प्रतिशत) का व्यय किया गया। वर्ष 2008–09 में 1522.07 लाख रुपये (66.67 प्रतिशत), वर्ष 2009–10 में 2678.30 लाख रुपये (81.15 प्रतिशत) एवं वर्ष 2010–11 में 4496.32 लाख रुपये (69.17 प्रतिशत) राशि का योजनान्तर्गत व्यय किया गया। समंक विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ष 2008–09 से 2010–11 में केन्द्र से प्राप्त राशि में से 80 प्रतिशत एवं राज्य सरकार से प्राप्त राशि में से 54 प्रतिशत का उपयोग किया गया, अर्थात् संदर्भित अवधि में औसतन 71.97 प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया।

VIII योजना की भौतिक प्रगति :

प्रथम चरण में 2500 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अगस्त 2008 से जून 2013 तक के लिये तथा द्वितीय चरण में सितम्बर 2010 से फरवरी 2014 तक के लिए 2000 राजकीय माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रारम्भ की गयी। इस प्रकार राज्य के 4500 माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों (4014 छात्र विद्यालय तथा 486 छात्रा विद्यालय) में सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत कक्षा 9 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा एवं तकनीकी सेवाओं का विस्तृत ज्ञान प्रदान करने के लिये चयनित विद्यालयों में पी.सी., प्रिन्टर, सी.आर.टी., स्केनर, वैब कैमरा एवं माडेम, साफ्टवेयर, फर्नीचर, कम्प्यूटर स्टेशनरी, इन्टरनेट सुविधा आदि स्थापित कर शिक्षा प्रदान करना प्रारम्भ किया गया।

IX विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा :

चयनित सात जिलों के 28 विद्यालयों के 531 विद्यार्थियों से विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है या नहीं के उत्तर में 346 (65.16 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा दिया जाना स्वीकार किया, शेष 185 (34.84 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने कम्प्यूटर शिक्षा दिये जाने से इन्कार किया।

X कम्प्यूटर शिक्षा से ज्ञानवर्द्धन का स्तर एवं सन्तुष्टि की स्थिति :

कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त 346 विद्यार्थियों में से मात्र 12 (3.47 प्रतिशत) विद्यार्थियों का ज्ञानवर्द्धन बहुत अच्छा, 48 (13.87 प्रतिशत) विद्यार्थियों का ज्ञानवर्द्धन ठीक एवं 286 (82.66 प्रतिशत) विद्यार्थियों का ज्ञानवर्द्धन सामान्य स्तर का रहा। कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त 346 विद्यार्थियों में से 131(37.86 प्रतिशत) विद्यार्थी सन्तुष्ट तथा शेष 215 (62.14 प्रतिशत) विद्यार्थी असन्तुष्ट पाये गये।

XI कम्प्यूटर की उपलब्धता एवं लैब व्यवस्था :

चयनित विद्यालयों के जिन 346 विद्यार्थियों ने कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त कक्षा में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटरों को 54 (15.61 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने पर्याप्त एवं 280 (80.92 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने अपर्याप्त बताया, जबकि 12 (3.47 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने उत्तर नहीं दिया। पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं होने के कारणों में बताया कि छात्र संख्या के अनुसार कम संख्या में कम्प्यूटर उपलब्ध करवाना एवं उपलब्ध कम्प्यूटरों में भी अधिकांश कम्प्यूटर खराब रहने से व चोरी हो जाने से कम्प्यूटरों का विद्यालयों में अभाव रहा।

XII आई.सी.टी. लैब की उपलब्धता/रखरखाव की व्यवस्था :

346 विद्यार्थियों (शत–प्रतिशत) ने लैब उपलब्ध होना बताया, जो योजना क्रियान्वयन हेतु आवश्यक थी। विद्यालयों में स्थापित आई.सी.टी. लैब रखरखाव की व्यवस्था के बारे में 346 विद्यार्थियों में से 77 (22.25 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने अच्छी, 209 (60.40 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने सन्तोषप्रद एवं 48 (13.87 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने खराब बताया, शेष 12 (3.48 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने प्रत्युत्तर नहीं दिया। आई.सी.टी.लैब के रखरखाव व्यवस्था को खराब बताने वाले 48 विद्यार्थियों ने बताया कि कम्प्यूटर बक्सों में बन्द रहते है, क्योंकि लैब से एक बार कम्प्यूटर चोरी हो चुका हैं। लैब में पंखे व फर्नीचर का अभाव बताते हुये रखरखाव व्यवस्था से विद्यार्थी असन्तुष्ट थे।

XIII कम्प्यूटर से पाठ्यक्रम में रूचि :

चयनित 346 विद्यार्थियों में से 182 (52.60 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने कम्प्यूटर शिक्षा से पाठ्यक्रम के प्रति रूचि जागृत करने में सक्षम बताया जबकि 164 (47.40 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने रूचि जागृत करने में असक्षम बताया। इस सम्बन्ध में 50 सरकारी/गैर–सरकारी उत्तरदाताओं में से 45 (90.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बताया कि कम्प्यूटर शिक्षा से सूचना एवं संचार तकनीकी के संवर्द्धन में वृद्धि हुई है।

XIV योजनान्तर्गत अनुभूत कठिनाइयाँ एवं सुझाव :

(i) आई.सी.टी.योजना के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर निरीक्षण की महत्ती आवश्यकता होती है। निरीक्षण हेतु पर्याप्त संसाधन, कम्प्यूटर के जानकार एवं प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध नहीं होने से सेवा प्रदाता/फर्म इस क्षेत्र में एकाधिकार के रूप में सेवायें दे रही है जो पर्याप्त गुणवत्ताशील नहीं है। अतः योजना के सुदृढ़ क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त निरीक्षण की व्यवस्था कम्प्यूटर के प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

(ii) योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन स्वरूप प्रमाण पत्र/ प्रोत्साहन राशि/ अवकाश अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त करने पर अवकाश का लाभ दिया जा सकता है जिससे कार्मिक रूचि लेकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को पूर्ण जानकारी दी जायेगी तो वे रूचि से अध्ययन कार्य करेंगे तथा विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निराकरण भी समय पर हो सकेगा। साथ ही सेवा प्रदाता/फर्म की सेवा अवधि समाप्त होने पर भी कम्प्यूटर शिक्षण का कार्य निरन्तर चलता रहेगा।

(iii) सेवा प्रदाता/फर्म द्वारा अनुदेशकों की योग्यता एवं वेतन का निर्धारण कर उनकी नियुक्ति समय पर नहीं की जाती है। सामान्यतः सेवा प्रदाता/फर्म अनुदेशक को 2000/– रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। अल्पवेतन होने से अनुदेशक निर्धारित पूरे समय अपनी सेवायें विद्यालय में नहीं देता जिससे कम्प्यूटर शिक्षा का कार्य बाधित होता है। अतः अनुदेशक को उसकी योग्यता एवं कार्यप्रणाली के आधार पर पूर्ण वेतन प्रतिमाह दिया जाना सुनिश्चित किया जावें।

(iv) अनुदेशक सामान्यतया विद्यार्थियों को कम्प्यूटर की प्रारम्भिक जानकारी यथा कम्प्यूटर को चालू करना, बन्द करना, गेम खेलना, पेन्टिंग कार्य करना इत्यादि कार्य ही सिखाता है। अनुदेशकों को इन्टरनेट/फर्म द्वारा दी गयी विषयवार सी.डी. से अध्ययन कार्य करवाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण देकर अध्ययन कार्य करवाने हेतु पाबन्द किया जाना चाहिए एवं अध्ययन कार्य का उल्लेख अनुदेशक की दैनिक डायरी में किया जाना चाहिये व इसकी जाँच संस्था प्रधान द्वारा समय–समय पर की जानी चाहिए।

(v) सेवा प्रदाता/फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये गये संसाधनों की मरम्मत/सुधार का कार्य समय पर नहीं किया जाता है, इससे शिक्षण कार्य बाधित होता है। अतः अनुबन्ध की सेवा शर्तों के अनुसार निर्धारित समय में ही संसाधनों के मरम्मत/सुधार का कार्य किया जाना चाहिए।

(vi) योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक को विद्यालय के अन्य कार्यों/ अन्य स्थान पर प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है जिससे विद्यालय के प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक विद्यार्थियों को समुचित ज्ञान उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। अतः योजनान्तर्गत प्रशिक्षित शिक्षक को कम्प्यूटर शिक्षा के कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नियुक्त नहीं करना चाहिए।

(vii) सेवा प्रदाता/फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधन चोरी होने पर उसके स्थान पर अन्य संसाधन उपलब्ध करवाने का अनुबन्ध सेवा शर्तों में किया गया था, किन्तु जिन विद्यालयों में संसाधन/कम्प्यूटर चोरी हो गये उनके स्थान पर नये कम्प्यूटर/संसाधन उपलब्ध नहीं करवाये गये। अतः सेवा प्रदाता/फर्म को सेवा शर्तों के अनुसार संसाधनों के रखरखाव/प्रतिस्थापन की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण करनी चाहिए।

(viii) योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों में इन्टरनेट/मॉडम सुविधा उपलब्ध करवाकर पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन कार्य करवाने का प्रावधान है। प्रारम्भ में विद्यालयों में मॉडम उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा इन्टरनेट सुविधा विद्यालयों में उपलब्ध करवा दी जाती है किन्तु वह कार्यरत है या नहीं इसकी सेवा प्रदाता/फर्म द्वारा कभी जाँच नहीं की जाती है। विद्यालयों में उपलब्ध करवायी गयी इन्टरनेट/मॉडम सुविधा कुछ समय बाद बन्द हो हाती है। इससे योजना के उद्देश्यों के अनुसार अध्ययन कार्य नहीं हो पाता है। अतः कम्प्यूटर अध्ययन का कार्य निरन्तर चलता रहे इसकी सेवा प्रदाता/फर्म द्वारा निश्चितता करनी चाहिए।

XV सारांश :

आई.सी.टी.योजना के तहत कम्प्यूटर शिक्षा Boot Model के आधार पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के चयनित 4500 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा–9 से कक्षा–12 तक के छात्र/छात्राओं को संचार एवं तकनीकी सेवायें उपलब्ध करवाने के लिए मार्च 2008 में दो चरणों में प्रारम्भ की गई। योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक 12083 लाख रुपये प्रावधान के विरूद्ध 8696.62 लाख रुपये व्यय किये गये। योजना क्रियान्वयन अन्तर्गत पर्याप्त निरीक्षण व्यवस्था का अभाव, कम्प्यूटर के जानकार प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी, सेवा प्रदाता/फर्म द्वारा नियुक्त अनुदेशकों को ग्रामीण क्षेत्र के अनुभव का अभाव, योजनान्तर्गत उपलब्ध करवाये गये संसाधनों (कम्प्यूटरों) के रखरखाव/सुधार की व्यवस्था का अभाव एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में पूर्णरूपेण अंग्रेजी ज्ञान न होने से हिन्दी में अनुपलब्ध सॉफ्टवेयर से योजना का सुदृढ़ क्रियान्वयन नहीं हो पाया। अतः योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निरीक्षण व्यवस्था के लिए कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त प्रशिक्षित कार्मिकों से निरीक्षण कराना चाहिए जिससे वे निरीक्षण के समय तकनीकी जानकारी भी दे सके। वर्तमान में नियुक्त शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण देकर इन्टरनेट से कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाने हेतु प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस हेतु ग्रामीण परिवेश का अनुभव रखने वाले योग्य व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, साथ ही हिन्दी में सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाने से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा में सुगमता रहेगी।

————

अध्याय – प्रथम

अध्ययन संरचना

1.1.0 **परियोजना परिचय** :

1.1.1 आज का युग कम्प्यूटर का युग है। कम्प्यूटर एवं ई–टेक्निक के बहुआयामी कार्यों एवं उपलब्धियों से हम सब परिचित हैं। आज सामान्य लगने वाले कार्य की कुछ वर्षों पूर्व तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वस्तुतः ये सब प्रौद्योगिकी का ही कमाल है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी का सफर 1972 से शुरू हुआ, जब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का श्रीगणेश कर शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से 6 राज्यों एवं उनके राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों को रेडियो कम कैसिट प्लेयर तथा रंगीन टेलीविजन के लिए वित्तीय प्रावधान उपलब्ध करवाया गया। राज्य में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की कम्प्यूटर लिटरेसी एण्ड स्टेडीज इन स्कूल्स योजना (क्लास प्रोजेक्ट) केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत (शत प्रतिशत सहायता) वर्ष 1993–94 से प्रारम्भ की गई तथा 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध करवाये गये।

1.1.2 आई.सी.टी.(Information & Communication Technology Scheme) योजना भारत सरकार के आदेश दिनांक 27.12.2004 को जारी निर्देशों के अनुसार यह योजना पूर्व में संचालित क्लास प्रोजेक्ट एवं शिक्षा तकनीकी योजना का परिवर्द्धित स्वरूप है। केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत राजकीय एवं अनुदान प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा दिये जाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राज्य के 2500 विद्यालयों में परियोजना Boot के आधार पर वर्ष 2008 में क्रियान्वयन करने की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसके तहत अगस्त 2008 से राज्य में योजना क्रियान्वित की जा रही है। राज्य में केन्द्र प्रवर्तित परियोजना आई.सी.टी. एवं कम्प्यूटर शिक्षा का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एकीकरण कर संचालित करने का निर्णय लिया गया। योजना का प्रमुख उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा एवं तकनीकी सेवाओं का विस्तृत ज्ञान प्रदान करना है। योजना के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों में पी.सी., प्रिन्टर, सी आर टी, स्केनर, वेब कैमरा एवं मॉडेम, सॉफ्टवेयर, फर्नीचर, कम्प्यूटर, स्टेशनरी, इन्टरनेट आदि संसाधन उपलब्ध कराने के साथ ही विद्यालय के शिक्षकों को भी कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया ताकि कम्प्यूटर शिक्षा के साथ–साथ सभी विषय अध्यापक कम्प्यूटर के माध्यम से अपना शिक्षण कार्य करवा सके एवं इन्टरनेट, मॉडेम, कैमरा आदि के माध्यम से आधुनिक सूचना एवं संचार तकनीकी का विस्तार भी किया गया।

1.1.3 यह परियोजना BOOT Model (Built, own, operate & transfer) के आधार पर राज्य में संचालित की जा रही है। इसमें सेवाप्रदाता योजना अवधि के अन्दर कम्प्यूटर स्थापित (Built) कर स्व–नियन्त्रण में लेकर (Own) संचालित (Operate) करता है। परियोजना की अनुबन्ध अवधि (पाँच वर्ष) पूर्ण होने पर समस्त हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर संसाधनों को विद्यालय प्रशासन के पक्ष में स्थानान्तरित (Transfer) करना होता है। आई.सी.टी. योजनान्तर्गत अगस्त 2008 से राज्य में कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र/छात्राओं के मध्य सूचना/संचार प्रौद्योगिकी के साथ–साथ कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु मण्डलवार 4500 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में Integrated Scheme for Computer Education (CE) and Information & Communication Technology (ICT) योजना क्रियान्वित की जा रही है।

1.1.4 योजना में चयनित विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाकर प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अपने–अपने विषय को आई.सी.टी. योजना के उपकरणों से अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है। इस प्रकार कम्प्यूटर शिक्षा के साथ–साथ सूचना एवं संचार तकनीकी के सभी संसाधनों का सदुपयोग किया जाकर विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रक्रिया को सरल एवं सरस बनाने के प्रयास किये जा रहे है।

1.2.0 **योजना के उद्देश्य** :

1.2.1 आई.सी.टी. योजना निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्रियान्वित की जा रही है :–

(i) रा.उ.मा.वि. विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना एवं संचार तकनीकी के संवर्धन हेतु वातावरण निर्माण के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना।

(ii) एस.आई.ई.टी.(State Institutes of Educational Technologies) और इन्टरनेट के उपयोग से पढ़ाये जाने वाले अधिगम सामग्री का उपयोग किया जाना।

(iii) आई.सी.टी. उपकरणों की व्यवस्था से वर्तमान शैक्षणिक पाठ्यक्रम और विधियों को समृद्ध करना।

(iv) विद्यार्थियों को डिजीटल संचार और प्रभावी रोजगार के लिए आवश्यक कौशल को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाना।

(v) विद्यार्थियों को आई सी टी के उपकरणों (यथा–सॉफ्टवेयर संसाधनों) के माध्यम से प्रभावी शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करवाना।

(vi) विद्यालयों में स्वाध्याय की सहायता से समालोचक चिंतन और विश्लेषणात्मक कौशल का विकास करना। इससे कक्षा वातावरण शिक्षक केन्द्रिक से विद्यार्थी केन्द्रिक में स्थानान्तरित होगा।

1.3.0 **वित्तीय प्रावधान** :

1.3.1 परियोजना के प्रथम चरण में केन्द्र सरकार द्वारा प्रति इकाई लागत राशि 6.70 लाख रूपये स्वीकृत की गई। केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत कुल व्यय राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत कुल 4500 विद्यालयों (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) में कम्प्यूटर शिक्षा संचालित है। विभाग द्वारा योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक राज्य मद से 2069.75 लाख रुपये एवं केन्द्र मद से कुल 6629.94 लाख रुपये राशि व्यय की गई। इस प्रकार योजनान्तर्गत राज्य व केन्द्र मद से कुल राशि 8696.69 लाख रुपये व्यय किये गये।

1.4.0 **योजना अवधि** :

1.4.1 केन्द्र सरकार से विभाग को 4 वर्ष की अवधि (2008–09 से 2011–12) Boot के आधार पर परियोजना क्रियान्वित करने के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई। जिसके तहत मार्च 2008 से मार्च 2011 तक कुल 2500 विद्यालयों जिनमें 2192 छात्र विद्यालयों एवं 308 छात्रा विद्यालयों को लाभान्वित किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा इसे संशोधित कर योजना के क्रियान्वयन हेतु 5 वर्ष की अवधि (2008–09 से 2012–13) हेतु पुनः सहमति प्रदान की। द्वितीय चरण में सितम्बर 2010 से फरवरी 2014 तक के लिये 2000 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में योजनान्तर्गत शिक्षा प्रारम्भ की गयी। इस प्रकार कुल 4500 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में योजना क्रियान्वित की जा रही है।

1.5.0 **योजना की विशेषताएँ तथा व्यवस्थाएँ** :

1.5.1 योजना की मुख्य–मुख्य विशेषतायें एवं व्यवस्थायें निम्नानुसार है :–

(i) प्रथम चरण में योजना मार्च 2008 से राज्य के 7 मण्डलों के 2500 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित है।

(ii) द्वितीय चरण के अन्तर्गत सितम्बर 2010 से 2000 अतिरिक्त विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा चालू की गयी।

(iii) शिक्षा विभाग ग्रुप–I द्वारा परियोजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों में परियोजना क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

(iv) चयनित विद्यालयों में ICT के तहत कम्प्यूटर शिक्षा Boot Model के आधार पर संचालित है।

(v) ICT का प्रबन्धन एवं प्रबोधन हेतु समितियों का गठन किया हुआ है।

(vi) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा ICT के तहत कक्षा IX से XII तक के कम्प्यूटर शिक्षा के पाठयक्रम की विवरणिका जारी करना।

(vii) प्रबन्ध सिस्टम एवं पाठ्यक्रम आधारित बिन्दुओं को समाविष्ट कर सॉफ्टवेयर संसाधन उपलब्ध करवाये गये।

(viii) कम्प्यूटर शिक्षा हेतु विभाग द्वारा निविदा आमंत्रित करने हेतु समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये।

(ix) योजनान्तर्गत कुल व्यय का 75 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

(x) समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है।

(xi) विद्यालय की आईसीटी लैब की सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का है।

(xii) फर्म द्वारा नियुक्त अनुदेशक के दैनिक कार्य का संस्था प्रधान/प्रभारी द्वारा अवलोकन करना।

(xiii) कक्षावार पाठ्यक्रम की समय पर पूर्ति का मूल्यांकन संस्था प्रधान/प्रभारी द्वारा किया जाना। पाठ्यक्रम पूर्ति सन्तोषप्रद नहीं होने पर अनुबंधित फर्म को पूर्ति हेतु निर्देश प्रदान करना।

1.6.0 **ढाँचागत संसाधन** :

1.6.1 विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (आई.सी.टी.) के अन्तर्गत चुने जाने वाले विद्यालयों में एक कम्प्यूटर सर्वर के माध्यम से जुड़े 10 कम्प्यूटर सैट उपलब्ध करवाये जाते हैं। इनके अलावा जरूरी सहायक सामग्री यथा प्रिन्टर, प्रोजेक्शन सिस्टम आदि प्रदान किये जाते हैं। इस महत्वाकांक्षी कम्प्यूटर शिक्षा योजना में प्रत्येक स्कूल में कम से कम 2 एम बी पी एस का ब्रॉडबेन्ड इन्टरनेट कनेक्शन प्राथमिकता से उपलब्ध करवाना होता है। जहाँ यह सम्भव नहीं हो, वहाँ भविष्य में अपग्रेड कर सकने की क्षमता की शर्त पर कमतर (Lower) ब्रॉडबेन्ड कनेक्शन लगाया जा सकता है। बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जनरेटर सेट उपलब्ध करवाया जाता है। आई. सी.टी. कम्प्यूटर लेब चयनित विद्यालयों के किसी सुरक्षित कक्ष में स्थापित की जाती है। यदि किसी विद्यालय में इस श्रेणी का कक्ष नहीं है तो राजकीय विद्यालयों हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण प्रस्तावित किये जाते है।

1.7.0 **क्रियान्वयन प्रक्रिया** :

1.7.1 आई.सी.टी. कार्यक्रम में बूट मॉडल के आधार पर कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध करवाने पर जोर दिया गया है। Boot मॉडल में सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए किसी सेवा प्रदाता के साथ अनुबन्ध किया जाता है। सेवा प्रदाता शर्तों के अधीन मशीन एवं मानव संसाधन संबंधित विद्यालयों में उपलब्ध करवाता है। सेवागृहिता अनुबंध की शर्तों के अनुसार अवधि के अन्तराल से भुगतान करता है, बशर्ते सेवा प्रदाता ने सभी सेवाएँ सन्तोषजनक ढंग से यथाविधि उपलब्ध करवाई है। Boot मॉडल (Built own operate transfer) इसमें सेवा प्रदाता 10 कम्प्यूटर/प्रिन्टर्स/सी.आर.टी. प्रति विद्यालय स्थापित कर स्वनियंत्रण में लेकर संचालित करता है तथा अनुबन्ध अवधि पूर्ण होने पर समस्त हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर संसाधनों को विद्यालय प्रशासन के पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने के प्रावधान के अनुसार हस्तान्तरित करता है। अनुबन्ध अवधि के दौरान रखरखाव संबंधी समस्त व्यय सेवा प्रदाता को ही वहन करने होते हैं।

1.8.0 **मूल्यांकन की आवश्यकता** :

1.8.1 योजनान्तर्गत कार्यक्रम की महत्ता, उपयोगिता एवं योजना के प्रभावों का आंकलन करने हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया गया।

1.9.0 **मूल्यांकन अध्ययन के उद्देश्य** :

1.9.1 मूल्यांकन अध्ययन निम्न उद्देश्यों को मध्यनजर रखते हुये किया गया :–

(1) योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करना।

(2) योजनान्तर्गत कार्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित ढ़ांचागत उपकरणों का भौतिक सत्यापन एवं प्रशिक्षकों की भूमिका का आंकलन।

(3) योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध अर्जित उपलब्धियों का आंकलन करना तथा विद्यालय स्तर पर प्रभारी अधिकारी/उच्च स्तरों से योजना की स्थिति ज्ञात करना।

(4) विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय की सहायता से समालोचक चिन्तन एवं विश्लेषणात्मक कौशल के विकास की स्थिति का आंकलन करना।

(5) योजना संचालन में विभिन्न स्तरों पर अनुभूत कठिनाइयाँ ज्ञात कर योजना के प्रभावी संचालन हेतु सुझाव देना।

1.10.0 **परियोजना की प्रगति** :

1.10.1 अध्ययन के क्षेत्रीय कार्य के समय विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचनानुसार वर्ष 2008–09 में आई सी टी योजनान्तर्गत मण्डल स्तर पर संचालित छात्र/छात्राओं के 2500 उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष 2008–09 (माह जुलाई 2008 से मार्च 2009 तक)

क्र. सं.	मण्डल का नाम	जिले का नाम		उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या		
				छात्र विद्यालय	छात्रा विद्यालय	कुल
1	जयपुर	1	जयपुर – प्रथम	84	11	95
		2	जयपुर – द्वितीय	86	9	95
		3	अलवर – प्रथम	48	10	58
		4	अलवर – द्वितीय	81	6	87
		5	सीकर – प्रथम	54	6	60
		6	सीकर – द्वितीय	48	7	55
		7	दौसा	47	6	53
			योग :	**448**	**55**	**503**
2	उदयपुर	14	उदयपुर – प्रथम	43	10	53
		15	उदयपुर – द्वितीय	61	6	67
		16	राजसमन्द	59	8	67
		17	डूंगरपुर	58	5	63
		18	बांसवाड़ा	61	5	66
		19	चित्तौड़गढ	81	13	94
			योग :	**363**	**47**	**410**
3	चुरू	31	चुरू	77	11	88
		32	बीकानेर	48	12	60
		33	हनुमानगढ़	55	9	64
		34	श्रीगंगानगर	63	13	76
		35	झुन्झुनु	110	11	121
			योग :	**353**	**56**	**409**
4	अजमेर	24	अजमेर – प्रथम	54	11	65
		25	अजमेर – द्वितीय	39	4	43
		26	नागौर – प्रथम	49	7	56
		27	नागौर – द्वितीय	56	9	65
		28	भीलवाड़ा – प्रथम	39	8	47
		29	भीलवाड़ा – द्वितीय	43	5	48
		30	टोंक	57	7	64
			योग :	**337**	**51**	**388**
5	जोधपुर	8	जोधपुर	87	19	106
		9	जैसलमेर	20	0	20
		10	बाड़मेर	57	6	63
		11	सिरोही	34	5	39
		12	जालौर	46	4	50
		13	पाली	78	8	86
			योग :	**322**	**42**	**364**

क्र. सं.	मण्डल का नाम	जिले का नाम		उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या		
				छात्र विद्यालय	छात्रा विद्यालय	कुल
6	कोटा	20	कोटा	47	16	63
		21	बून्दी	43	8	51
		22	बारां	40	4	44
		23	झालावाड़	51	9	60
			योग :	**181**	**37**	**218**
7	भरतपुर	36	भरतपुर – प्रथम	50	5	55
		37	भरतपुर – द्वितीय	27	3	30
		38	धौलपुर	28	2	30
		39	करौली	46	5	51
		40	सवाईमाधोपुर	37	5	42
			योग :	**188**	**20**	**208**
			महायोग :	**2192**	**308**	**2500**

1.11.0 **न्यादर्श परिकल्पना** :

1.11.1 निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा वर्ष 2008–09 में योजनान्तर्गत मण्ड़लवार राज्य के 2500 सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में संचालित जिलेवार छात्र/छात्राओं के विद्यालयों की सूचना उपलब्ध कराई गई। अतः योजना क्रियान्विति हेतु वर्ष 2008–09 की उपलब्ध कराई गई विद्यालयों की संख्या सम्बन्धी सूचना के आधार पर न्यादर्श रूप में अध्ययन किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा संचालित माध्यमिक शिक्षा मद अन्तर्गत आई.सी.टी. योजनान्तर्गत राज्य के विद्यालयों में दिये गये कम्प्यूटर शिक्षा के अध्ययन हेतु साधारण न्यादर्श प्रणाली का प्रयोग किया गया।

1.11.2 प्रथम स्तर पर सातों मण्डलों में से सबसे अधिक छात्र एवं छात्रा विद्यालयों की संख्या वाले एक–एक जिले का चयन किया गया। इस प्रकार सातों मण्डलों में से एक–एक जिला जयपुर प्रथम, चित्तौडगढ़, झुन्झुनू, अजमेर प्रथम, जोधपुर, कोटा एवं भरतपुर को चयनित किया गया।

1.11.3 द्वितीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिले से कुल 4 (3 छात्र + 1 छात्रा) विद्यालयों का चयन किया गया। विद्यालयों का चयन करते समय सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आई.सी.टी. योजनान्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा प्रदत्त विद्यालयों की जिला मुख्यालय से दूरी की सूची प्राप्त कर 2 विद्यालय अधिकतम दूरी वाले एवं 2 विद्यालय न्यूनतम दूरी वाले चयनित किये गये। प्रत्येक चयनित विद्यालय से साधारण न्यादर्श पद्धति से कक्षावार (कक्षा 9 से 12) प्रति कक्षा से 5 विद्यार्थियों का चयन कर साक्षात्कार किया गया। चयनित विद्यार्थियों से योजना के सम्बन्ध में उनके विचार प्राप्त किये।

1.11.4 न्यादर्श के अनुसार 7 मण्ड़लों में से 7 जिलों के 21 छात्र तथा 7 छात्रा विद्यालयों से प्रति विद्यालय 20 छात्र/छात्रा के अनुसार कुल 560 छात्र/छात्राओं का चयन किया जाना था किन्तु भरतपुर जिले के चयनित विद्यालयों में सर्वे के दौरान 51 छात्र/छात्रायें ही उपलब्ध हुये। इस प्रकार कुल 531 छात्र/छात्राओं से योजना के बारे में विचार एकत्रित किये गये।

1.12.0 **अध्ययन के उपकरण** :

1.12.1 अध्ययन के क्षेत्रीय कार्य हेतु निम्नलिखित अनुसूचियाँ उपयोग में ली गयी :–

(1) **राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय प्रलेख अनुसूची** :

इस अनुसूची में राज्य एवं जिला स्तर पर योजनान्तर्गत विद्यालयों को प्रदत्त राशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा कार्यक्रम संचालन आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी।

(2) **विद्यालय अनुसूची** :

इस अनुसूची में चयनित विद्यालयों में आई सी टी योजनान्तर्गत प्रदत्त कम्प्यूटर किट का भौतिक सत्यापन तथा कार्यक्रम के संचालन आदि के संबंध में जानकारी संकलित की गयी।

(3) **कार्यकारी अनुसूची** :

इस अनुसूची में जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिले में योजना क्रियान्वयन करने वाले अधिकारी, विद्यालय प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका इत्यादि से योजना क्रियान्वयन एवं उपादेयता के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी।

(4) **शिक्षक अनुसूची** :

इस अनुसूची में चयनित विद्यालयों के संस्था प्रधान/ प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका/ विषयक अध्यापक/ अध्यापिका/ प्रभारी अध्यापकगण जिन्होंने विद्यालय में कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया से योजना के क्रियान्वयन एवं उपादेयता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सूचना एकत्रित की गयी।

(5) **सेवा प्रदाता/फर्म अनुसूची** :

इस अनुसूची में सेवा प्रदाता/ फर्म द्वारा विद्यालय में उपलब्ध करवायी गयी सेवा यथा– कम्प्यूटर प्रशिक्षण, कम्प्यूटर संसाधनों की मरम्मत/ रखरखाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सूचना एकत्रित की गयी।

(6) **विद्यार्थी अनुसूची** :

योजनान्तर्गत शिक्षारत कक्षा 9 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक कम्प्यूटर द्वारा दी गई शिक्षा एवं पाठ्यक्रम आदि की जानकारी प्राप्त कर इसकी उपादेयता के संबंध में सूचना एकत्रित की गयी।

(7) **अवलोकन टिप्पण** :

अन्वेषक द्वारा क्षेत्रीय कार्य के दौरान योजना संबंधी अवलोकित समस्त बिन्दुओं पर समीक्षात्मक टिप्पणी प्राप्त की गयी।

1.13.0 **सन्दर्भ अवधि** :

1.13.1 अध्ययन से सम्बन्धित प्रलेख सूचनायें वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक की अवधि की तथा कार्यकारी अनुसूची, विद्यालय अनुसूची, विद्यार्थी अनुसूची एवं अवलोकन टिप्पणी सर्वे दिनांक से सम्बन्धित है।

———

अध्याय – द्वितीय

प्रगति समीक्षा

2.1.0 राज्य में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित माध्यमिक शिक्षा मद अन्तर्गत ''सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी योजना'' (Information & Communication Technology Scheme) का मुख्य उद्देश्य कक्षा 9 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में) कम्प्यूटर शिक्षा एवं तकनीकी सेवाओं का विस्तृत ज्ञान प्रदान कराना है। योजना अन्तर्गत वित्तीय व्यवस्था केन्द्र एवं राज्य सरकार 75 : 25 अनुपात का प्रावधान है। शिक्षा विभाग के अनुसार निर्धारित सात मण्ड़लों के समस्त जिलों में 4500 चयनित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में योजना क्रियान्वित की जा रही है। राज्य एवं जिला तथा चयनित विद्यालयों के स्तर पर भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का विश्लेषण किया गया है।

2.2.0 राज्य स्तरीय वित्तीय प्रगति :

2.2.1 आई.सी.टी. योजनान्तर्गत गत तीन वर्षों में रुपये 12083.00 लाख रुपये के प्राप्त बजट के विरूद्ध रुपये 8696.69 लाख (71.97 प्रतिशत) का व्यय किया गया। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रावधान, प्राप्त राशि एवं किये गये व्यय का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है :–

आई.सी.टी.योजनान्तर्गत बजट प्रावधान, प्राप्त बजट एवं व्यय राशि का विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

वर्ष	बजट प्रावधान			प्राप्त बजट			व्यय राशि		
	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	योग	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	योग	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	योग
2008-09	2500.00 (78.12)	700.00 (21.88)	3200.00 (100.00)	1450.00 (58.00)	833.00 (119.00)	2283.00 (71.34)	1141.54 (78.72)	380.53 (45.68)	1522.07 (66.67)
2009-10	2400.00 (75.00)	800.00 (25.00)	3200.00 (100.00)	2300.00 (95.83)	1000.00 (125.00)	3300.00 (103.12)	2128.30 (92.53)	550.00 (55.00)	2678.30 (81.15)
2010-11	3000.00 (75.00)	1000.00 (25.00)	4000.00 (100.00)	4500.00 (150.00)	2000.00 (200.00)	6500.00 (162.50)	3357.10 (74.60)	1139.22 (56.96)	4496.32 (69.17)
योग	**7900.00 (75.96)**	**2500.00 (24.04)**	**10400.00 (100.00)**	**8250.00 (104.43)**	**3833.00 (153.32)**	**12083.00 (116.18)**	**6626.94 (80.32)**	**2069.75 (54.00)**	**8696.69 (71.97)**

नोट– कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है।

2.2.2 उपरोक्त समंकों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि केन्द्र के प्रावधानों के अनुसार योजना के प्रथम वर्ष 2008–09 में 58.00 प्रतिशत, वर्ष 2009–10 में 95.83 प्रतिशत एवं वर्ष 2010–11 में 150.00 प्रतिशत राशि प्राप्त हुई। राज्य सरकार द्वारा भी क्रमशः 119.00 प्रतिशत, 125.00 प्रतिशत एवं 200.00 प्रतिशत राशि का अंशदान प्राप्त हुआ। प्राप्त राशि का वर्षवार विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2008–09 में 1522.07 लाख रुपये (66.67 प्रतिशत), वर्ष 2009–10 में 2678.30 लाख रुपये (81.15 प्रतिशत) एवं वर्ष 2010–11 में 4496.32 लाख रुपये (69.17 प्रतिशत) राशि का योजनान्तर्गत व्यय किया गया। समंक विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ष 2008–09 से 2010–11 में केन्द्र से प्राप्त राशि में से 80 प्रतिशत एवं राज्य सरकार से प्राप्त राशि में से 54 प्रतिशत का उपयोग किया गया, अर्थात् संदर्भित अवधि में औसतन 71.97 प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने योजना के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाया किन्तु विभाग ने शत–प्रतिशत राशि का उपयोग नहीं किया। उचित होता कि उपलब्ध बजट राशि का पूर्ण उपयोग कर योजना अधिक प्रभावशाली ढ़ंग से क्रियान्वित की जाती।

2.2.3 योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये विभाग ने प्रशासनिक दृष्टि से समस्त जिलों को सात मण्ड़लों में विभाजित कर योजना की मॉनिटरिंग का कार्य कर रहा है। योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक 12340.88 लाख रुपये की राशि का आवंटन किया गया जिसके विपरीत 8696.69 (70.47 प्रतिशत) लाख रुपये राशि व्यय हुई जिसका मण्ड़लवार विवरण निम्नानुसार है :–

वर्षवार एवं मण्ड़लवार वित्तीय आवंटन व व्यय का विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	मण्ड़ल का नाम	वर्ष							
		2008–09		2009–10		2010–11		योग	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1.	अजमेर	146.66	135.18 (92.17)	586.66	481.80 (82.13)	917.92	558.92 (60.89)	1651.24	1175.90 (13.52)
2.	भरतपुर	87.36	64.46 (73.78)	349.44	254.90 (72.95)	461.39	216.49 (46.92)	898.19	535.85 (6.16)
3.	चूरू	154.60	101.71 (65.33)	630.19	465.69 (73.90)	914.19	711.26 (77.80)	1698.98	1278.66 (14.70)
4.	जयपुर	194.20	146.40 (75.39)	776.83	446.41 (57.47)	1229.89	535.09 (43.51)	2200.92	1127.90 (12.97)
5.	जोधपुर	144.48	92.18 (63.80)	577.89	363.76 (62.95)	876.03	492.09 (56.17)	1598.40	948.03 (10.90)
6.	कोटा	78.29	64.60 (82.51)	313.13	240.05 (76.66)	439.40	307.59 (50.88)	830.82	612.24 (7.04)
7.	उदयपुर	164.57	132.43 (80.47)	658.29	425.69 (64.67)	943.49	764.01 (80.98)	1766.35	1322.13 (15.02)
	योग	**970.16**	**736.96 (75.96)**	**3892.43**	**2678.30 (68.76)**	**5782.31**	**3585.45 (62.00)**	**10644.90**	**7000.71 (65.76)**
	सोफ्टवेयर कम्पनी	785.11	785.11 (100.00)	-	-	910.87	910.87 (100.00)	1695.98	1695.98 (13.74)
	महायोग	**1755.27**	**1522.07 (86.71)**	**3892.43**	**2678.30 (68.76)**	**6693.18**	**4496.32 (67.18)**	**12340.88**	**8696.69 (70.47)**

2.2.4 विवरण से स्पष्ट होता है कि योजनान्तर्गत आवंटित कुल राशि 12340.88 लाख रुपये में से 1695.98 (13.74 प्रतिशत) राशि सॉफ्टवेयर स्थापित करने हेतु एवं शेष 10644.90 (86.26 प्रतिशत) राशि अन्य संसाधनों हेतु आवंटित की गई। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सॉफ्टवेयर स्थापना हेतु आवंटित 1695.80 लाख रुपये की राशि का तो शत–प्रतिशत उपयोग कर लिया गया, किन्तु अन्य संसाधनों हेतु आवंटित राशि 10644.90 लाख रुपये के विरूद्ध केवल 7000.71 (65.76 प्रतिशत) लाख रुपये की राशि का ही उपयोग किया गया अर्थात् संदर्भित अवधि में 70.47 प्रतिशत राशि का उपयोग ही योजनान्तर्गत किया गया। जिलेवार वित्तीय प्रगति का विवरण **परिशिष्ट–I** पर उपलब्ध है।

2.2.5 तालिका के विश्लेषण करने पर संदर्भित अवधि में आवंटन राशि तथा व्यय राशि में उत्तरोत्तर वर्षों में वृद्धि हो रही है जबकि परिशिष्ट–I का जिलेवार विश्लेषण करने पर वर्ष 2008–09 में जैसलमेर में मात्र 14.99 प्रतिशत राशि ही व्यय की गयी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2008–09 में बीकानेर, बाड़मेर, सिरोही एवं वर्ष 2009–10 में अलवर, राजसमन्द, उदयपुर में योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत से कम राशि व्यय की गयी।

2.2.6 विभाग को केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त कुल राशि का जिलों को आवंटित राशि से मिलान करने पर निम्न प्रकार से भिन्नता दृष्टिगत होती है :–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	मद	वर्ष		
		2008–09	**2009–10**	**2010–11**
1.	केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त कुल राशि	2283.00	3300.00	6500.00
2.	विभाग को प्राप्त राशि का जिलेवार आवंटन का योग	1755.27	3892.43	6693.18
	अन्तर राशि	**–527.73**	**+592.43**	**–193.18**

2.2.7 अतः स्पष्ट है कि विभाग को जहां वर्ष 2009–10 में प्राप्त राशि में से जिलों को 592.43 लाख रुपये राशि का अधिक्य वही वर्ष 2008–09 एवं 2010–11 में प्राप्त राशि में से क्रमशः 527.73 एवं 193.18 लाख रुपये राशि का कम आवंटन किया गया। अतः समंकों की एकरूपता के लिए निदेशालय स्तर पर विशेष कार्ययोजना तैयार कर समंक एकरूपता के प्रयास की आवश्यकता है।

2.3.0 योजना की भौतिक प्रगति :

2.3.1 राज्य में सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी योजना प्रथम चरण में 2500 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अगस्त 2008 से जून 2013 तक के लिये तथा द्वितीय चरण में सितम्बर 2010 से फरवरी 2014 तक के लिए 2000 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रारम्भ की गयी। इस प्रकार राज्य के 4500 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों (4014 छात्र विद्यालय तथा 486 छात्रा विद्यालय) में सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत कक्षा 9 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा एवं तकनीकी सेवाओं का विस्तृत ज्ञान प्रदान करने के लिये चयनित विद्यालयों में पी.सी., प्रिन्टर, सी.आर.टी., स्केनर, वैब कैमरा एवं माडेम, साफ्टवेयर, फर्नीचर, कम्प्यूटर स्टेशनरी, इन्टरनेट सुविधा आदि

स्थापित कर शिक्षा प्रदान करना प्रारम्भ किया गया। बूट के तहत चयनित विद्यालयों में स्थापित आई.सी.टी. लैब की प्रगति का मण्ड़लवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है तथा जिलेवार प्रगति का विवरण **परिशिष्ट–II** पर है।

मण्ड़लवार बूट के तहत चयनित विद्यालयों में स्थापित आई.सी.टी. लैब की प्रगति

क्र. सं.	मण्ड़ल का नाम	चयनित विद्यालय			आई.सी.टी.लैब स्थापित विद्यालयों की संख्या					
		2008–09	2009–10	योग	कम्प्यूटर लैब स्थापित	हार्डवेयर प्राप्त	हार्डवेयर इन्स्टॉल्ड	साफ्टवेयर इन्स्टॉल्ड	अनुदेशक नियुक्त	कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ
1.	अजमेर	388	300	688 (15.29)	688	688	688	688	688	688
2.	भरतपुर	208	130	338 (7.51)	338	338	338	338	338	338
3.	चूरू	409	330	739 (16.42)	739	739	739	739	739	739
4.	जयपुर	503	440	943 (20.96)	943	943	943	943	943	943
5.	जोधपुर	364	300	664 (14.76)	664	664	664	664	664	664
6.	कोटा	218	150	368 (8.18)	368	368	368	368	368	368
7.	उदयपुर	410	350	760 (16.89)	760	760	760	760	760	760
	योग	**2500**	**2000**	**4500 (100.00)**	**4500**	**4500**	**4500**	**4500**	**4500**	**4500**

नोट– कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है।

2.3.2 तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि योजनान्तर्गत चयनित शत–प्रतिशत विद्यालयों में आई.सी.टी.लैब स्थापना से लेकर अनुदेशकों की नियुक्ति उपरान्त कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ की गयी। यही स्थिति जिलेवार विश्लेषण में पायी गयी। इससे विभाग की योजना के प्रति कर्मठता प्रदर्शित होती है।

2.3.3 योजनान्तर्गत कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रावधान है इसके लिए मण्ड़लवार लाभान्वित कुल छात्र व छात्राओं की सूचना का संकलन किया गया। मण्ड़लवार एवं वर्षवार कुल लाभान्वित छात्र व छात्राओं की संख्या का विवरण निम्नानुसार है, जबकि जिलेवार, वर्षवार छात्र/छात्राओं की संख्या का विवरण **परिशिष्ट–III** पर है।

योजनान्तर्गत मण्ड़लवार एवं वर्षवार लाभान्वित छात्र/छात्राओं का विवरण

(संख्या में)

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल छात्र संख्या कक्षा 9 से 12 तक											
		2008–09			2009–10			2010–11			योग		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	अजमेर	52245	26453	78698	54050	27766	81816	59568	31445	91013	165863	85664	251527 (6.23)
2	भरतपुर	40656	17084	57740	41517	19228	60745	40033	20671	60704	122206	56983	179189 (4.44)
3	चूरू	45825	31343	77168	49004	32508	81512	53496	37390	90886	148325	101241	249566 (6.18)
4	जयपुर	88781	55928	144709	90390	62112	152502	97456	73069	170525	276627	191109	467736 (11.59)
5	जोधपुर	58333	26477	84810	67987	30555	98542	91815	40832	132647	218135	97864	315999 (7.83)
6	कोटा	20153	10774	30927	17200	10321	27521	19282	12348	31630	56635	33443	90078 (2.23)
7	उदयपुर	59568	36852	96420	69014	41906	110920	68820	44901	113721	1611533	869648	2481181 (61.49)
	योग	**365561 (64.08)**	**204911 (35.92)**	**570472 (100.00)**	**389162 (63.43)**	**224396 (36.57)**	**613558 (100.00)**	**430470 (62.29)**	**260656 (37.71)**	**691126 (100.00)**	**2599324 (64.42)**	**1435952 (35.58)**	**4035276 (100.00)**

नोट– कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है।

2.3.4 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2008–09 में 365561 छात्र एवं 204911 छात्राएं, वर्ष 2009–10 में 389162 छात्र एवं 224396 छात्राएं तथा 2010–11 में 430470 छात्र एवं 260656 छात्राएं योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों में नामांकित हुए। इस प्रकार संदर्भित अवधि में कुल 4035276 नामांकित विद्यार्थियों में से 2599324 (64.42 प्रतिशत) छात्र एवं 1435952 (35.58 प्रतिशत) छात्राओं का नामांकन चयनित विद्यालयों में किया गया।

2.3.5 संदर्भित अवधि (वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक) में योजनान्तर्गत चयनित 4014 छात्र विद्यालयों में 2599324 छात्रों को तथा 486 छात्रा विद्यालयों में 1435952 छात्राओं को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया। इस प्रकार 648 छात्र तथा 2955 छात्रायें प्रति छात्र/छात्रा विद्यालयों में योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त किया।

2.4.0 चयनित जिलों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति :

2.4.1 योजना के मूल्यांकन अध्ययन हेतु सात मण्ड़लों से प्रत्येक मण्ड़ल में सबसे अधिक छात्र एवं छात्रा विद्यालयों की संख्या वाले एक–एक जिले का चयन कर क्षेत्र कार्य किया। इस प्रकार जयपुर–I, चित्तौडगढ़, झुन्झुनू, अजमेर–I, जोधपुर, कोटा एवं भरतपुर जिले में अध्ययन के क्षेत्र कार्य के दौरान जिला स्तरीय प्रलेख सूचनायें एकत्रित की गयी तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर (वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक) संदर्भित वर्षों में चयनित जिलों की प्रगति वर्णित की गयी।

2.5.0 चयनित जिलों की वित्तीय प्रगति :

2.5.1 जिला स्तर पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी (आई.सी.टी.) योजना के प्रबन्धन एवं प्रबोधन के लिये विभाग ने जिला स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–I) को अध्यक्ष, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–I) कार्यालय में कार्यरत शैक्षणिक प्रकोष्ठ अधिकारी को सदस्य सचिव तथा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र का प्रतिनिधि, लेखा सेवा का वरिष्ठ अधिकारी (जिला शिक्षा माध्यमिक–I), छात्र–छात्रा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठतम प्रधानाचार्यों को सदस्य नियुक्त किया गया। इस प्रकार गठित समिति जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन का कार्य निदेशालय से समय–समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करवाती है। राज्य सरकार द्वारा बूट मॉडल पर चयनित विद्यालयों में योजना के क्रियान्वयन हेतु निजी फर्मों से अनुबन्ध कर उनकी मण्ड़लवार प्रति विद्यालय त्रैमासिक दर से राशि का अनुमोदन निम्न प्रकार से किया गया :–

क्र. सं.	मण्ड़ल का नाम	फर्म का नाम	अनुमोदित राशि
1.	अजमेर	कम्प्यूकॉम सोफ्टवेयर लि., जयपुर	37,800
2.	भरतपुर	एज्यूकॉम सोल्यूसन लि., नई–दिल्ली	42,000
3.	चूरू	कम्प्यूकॉम सोफ्टवेयर लि., जयपुर	37,800
4.	जयपुर	कम्प्यूकॉम सोफ्टवेयर लि., जयपुर	38,610
5.	जोधपुर	कम्प्यूकॉम सोफ्टवेयर लि., जयपुर	39,690
6.	कोटा	कम्प्यूकॉम सोफ्टवेयर लि., जयपुर	35,910
7.	उदयपुर	कम्प्यूकॉम सोफ्टवेयर लि., जयपुर	40,140

2.5.2 उक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भरतपुर मण्ड़ल में 42,000 रुपये सबसे अधिक तथा कोटा मण्ड़ल में सबसे कम 35,910 रुपये प्रति विद्यालय त्रैमासिक की दर से राशि का अनुमोदन किया गया।

2.6.0 चयनित जिलों में योजना की भौतिक प्रगति :

2.6.1 राज्य के समस्त मण्ड़लों से चयनित जिलों में बूट के तहत चयनित विद्यालयों की संख्या एवं संचालित आई.सी.टी. लैब, अनुदेशकों की नियुक्ति तथा कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	वर्ष								
		2008–09			2009–10			2010–11		
		चयनित विद्यालय संख्या	आईसीटी लैब स्थापित	कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ	चयनित विद्यालय संख्या	आईसीटी लैब स्थापित	कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ	चयनित विद्यालय संख्या	आईसीटी लैब स्थापित	कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ
1.	अजमेर	65	65	60	65	65	60	65	65	60
2.	जोधपुर	106	103	79	106	106	103	200	200	190
3.	झुन्झुनू	121	120	114	121	121	121	226	226	226
4.	जयपुर	95	95	95	95	95	95	185	182	182
5.	कोटा	63	63	63	63	63	63	63	63	63
6.	भरतपुर	55	55	55	55	55	55	95	95	95
7.	चित्तौडगढ़	71	71	70	71	71	71	137	136	130
	योग	**576**	**572**	**536**	**576**	**576**	**568**	**971**	**967**	**946**

2.6.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2008–09 में चयनित 576 विद्यालयों में से 572 विद्यालयों में आई.सी.टी. लैब स्थापित कर 536 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ की गई। वर्ष 2009–10 में चयनित विद्यालयों की संख्या में तो वृद्धि नहीं हुई किन्तु चार विद्यालयों में आई.सी.टी.लैब (जोधपुर में तीन और झुन्झुनू में एक) की स्थापना की गई, अर्थात् वर्ष 2009–10 में कुल चयनित विद्यालयों में स्थापित आई.सी.टी.लैब की संख्या 572 से बढ़कर 576 हो गई एवं कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ करने वाले विद्यालयों की संख्या भी 536 से बढ़कर 568 हो गई। वर्ष 2010–11 में योजनान्तर्गत चयनति जिले झुन्झुनू, जयपुर एवं चित्तौडगढ़ में 301 नये विद्यालयों का चयन कर कुल विद्यालयों की संख्या 971 हो गई एवं 967 विद्यालयों में आई.सी.टी.लैब की स्थापना कर 946 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ की गई।

2.6.3 योजनान्तर्गत चयनित जिलों के 971 चयनित विद्यालयों में से 967 विद्यालयों में आई.सी.टी. लैब स्थापित की गई एवं 946 विद्यालयों में अनुदेशक नियुक्त कर कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ की गई। अजमेर में 5 विद्यालय, जोधपुर में 10 विद्यालय, जयपुर में 3 एवं चित्तौडगढ़ में 7 कुल 25 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु अनुदेशक नियुक्त नहीं किये जाने के कारण इन विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ नहीं की गयी व स्थापित लैब का योजना के उद्देश्यों के अनुसार उपयोग नहीं किया गया, जबकि राज्य स्तरीय समंको के अनुसार शत–प्रतिशत विद्यालयों में लैब स्थापित कर कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ कर दी गई है। विभाग को इस सम्बन्ध में समय–समय पर आवश्यक निरीक्षण एवं जिला स्तरीय समिति को आवश्यक निर्देश जारी कर शत–प्रतिशत उपयोगिता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.7.0 चयनित जिलों में कुल छात्र/छात्राओं की संख्या :

2.7.1 आई.सी.टी.योजना में चयनित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 वीं तक के छात्र/छात्राओं को (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों) विस्तृत ज्ञान उपलब्ध करवाकर उनमें कम्प्यूटर शिक्षा के प्रति रूचि जागृत हो तथा वे कम्प्यूटर का विविध उपयोग करने के लिये प्रेरित हो, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु योजना प्रारम्भ की गयी। चयनित जिलों में कक्षा 9 से 12वीं तक कुल नामांकित छात्र/छात्राओं की संख्या का विवरण वर्षवार निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

चयनित जिलों में कक्षा 9 से 12वीं तक वर्षवार नामांकित छात्र/छात्राओं की संख्या

(संख्या में)

क्र. सं.	जिले का नाम	वर्षवार एवं कक्षावार छात्र/छात्राओं की संख्या														
		2008–09					2009–10					2010–11				
		9वीं	10वीं	11वीं	12वीं	योग	9वीं	10वीं	11वीं	12वीं	योग	9वीं	10वीं	11वीं	12वीं	योग
1.	अजमेर–I	9243	7444	5129	4310	26159	10007	6985	7045	5030	29067	11553	7888	6567	6662	32670
2.	जोधपुर	20042	15439	8547	6655	50683	21060	16745	11277	7912	56994	22667	18574	10941	9993	62175
3.	झुन्झुनू	14051	12153	10966	7210	44380	13922	13587	10313	10581	48403	14747	12982	8833	8453	45015
4.	जयपुर–I	15748	14675	11232	9351	51006	17070	14102	21602	10877	63651	16599	15421	14964	11482	58466
5.	कोटा	8149	7154	4833	3984	24120	7791	6383	6868	4376	25418	8508	6581	6330	5908	27327
6.	भरतपुर	12129	11188	9013	6702	39032	13681	10775	13289	8907	46652	13772	11118	10156	10809	45855
7.	चित्तौडगढ़	7071	5229	4241	3641	20182	6800	4666	6190	4129	21785	6941	7237	7016	5952	27146
	योग	**86433**	**70615**	**53961**	**41853**	**252862**	**90331**	**73243**	**76584**	**51812**	**291970**	**94787**	**79801**	**64807**	**59259**	**298654**

2.7.2 संदर्भित अवधि में चयनित जिलों में स्थित विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक कुल 843486 छात्र/छात्राओं का नामांकन किया गया। वर्षवार नामांकन की स्थिति से ज्ञात होता है कि वर्ष 2008–09 में 252862, वर्ष 2009–10 में 291970 तथा वर्ष 2010–11 में 298654 छात्र व छात्राओं का नामांकन चयनित जिलों के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किया गया। इस प्रकार संदर्भित अवधि में विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के नामांकन में वृद्धि हुई है। इससे योजना के प्रति छात्र/छात्राओं का बढ़ता रूझान स्पष्ट होता है।

2.7.3 चयनित जिलों में योजनान्तर्गत कुल 504002 (59.75 प्रतिशत) छात्र व छात्राओं को संदर्भित अवधि में लाभान्वित किया गया। वर्षवार लाभान्वितों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

योजनान्तर्गत चयनित जिलों में वर्षवार एवं कक्षावार लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या

(संख्या में)

क्र. सं.	जिले का नाम	वर्षवार एवं कक्षावार छात्र/छात्राओं की संख्या														
		2008–09					2009–10					2010–11				
		9वीं	10वीं	11वीं	12वीं	योग	9वीं	10वीं	11वीं	12वीं	योग	9वीं	10वीं	11वीं	12वीं	योग
1.	अजमेर	5010	5008	-	-	10018	5030	5030	-	-	10060	5049	5048	-	-	10097
2.	जोधपुर	9014	8029	7850	6233	31126	8157	7004	10337	7240	32738	8121	7061	9894	8932	34008
3.	झुन्झुनू	6867	6959	4223	3987	22036	5423	5297	4125	4087	18932	8914	8759	3987	3915	25575
4.	जयपुर	15748	14675	11232	9351	51006	17070	14102	21602	10877	63651	16599	15421	14964	11482	58466
5.	कोटा	4433	4339	-	-	8772	3842	3525	-	-	7367	3667	3469	-	-	7136
6.	भरतपुर	-	-	-	-	14031	-	-	-	-	15220	-	-	-	-	15552
7.	चित्तौडगढ़	7071	5229	4241	3641	20182	6800	4666	6190	4129	21785	6415	7006	6909	5914	26244
	योग	**48143**	**44239**	**27546**	**23212**	**157171**	**46322**	**39624**	**42254**	**26333**	**169753**	**48765**	**46764**	**35754**	**30243**	**177078**

नोट–

1. कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा अनिवार्य है तथा जिन जिलों में कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है उन्हें कम्प्यूटर की सामान्य शिक्षा ही दी जा रही है।

2.7.4 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2008–09 में 252862 (62.16 प्रतिशत), वर्ष 2009–10 में 169753 (58.14 प्रतिशत) तथा वर्ष 2010–11 में 177078 (59.29 प्रतिशत) छात्र–छात्राओं को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया। चयनित जिला अजमेर व कोटा में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्र व छात्राओं को चयनित विद्यालयों में योजनान्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा नहीं दी गयी। जयपुर जिले में कक्षा 9वीं से 10वीं तक अनिवार्य रूप से तथा कक्षा 11वीं व 12वीं को कम्प्यूटर की सामान्य शिक्षा दी गयी। भरतपुर जिले में कक्षावार लाभान्वितों का विवरण संधारित नहीं किया गया किन्तु वर्षवार कुल लाभान्वितों का विवरण उपलब्ध करवाया गया।

2.8.0 चयनित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का कक्षावार एवं वर्षवार विवरण :

2.8.1 योजना के मूल्यांकन अध्ययन हेतु चयनित 28 (21 छात्र + 7 छात्रा) विद्यालयों में वर्ष 2008–09 से योजना प्रारम्भ हुई एवं वर्ष 2008–09 में ही आई.सी.टी. कम्प्यूटर लैब की स्थापना की गयी।

2.8.2 चयनित 28 विद्यालयों में योजना के प्रारम्भ वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक कक्षा–9 से कक्षा–12 तक कुल 27645 विद्यार्थी अध्ययनरत थे जिनमें से 17804 छात्र एवं 9841 छात्राऐं थी। अध्ययनरत छात्र व छात्राओं का कक्षावार विवरण निम्न तालिका में अंकित किया गया है :–

विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या

(संख्या)

वर्ष	कक्षावार छात्र संख्या					कक्षावार छात्रा संख्या					कक्षावार छात्र–छात्राओं का योग				
	IX	X	XI	XII	योग	IX	X	XI	XII	योग	IX	X	XI	XII	योग
08-09	1319	1290	1715	1406	5730 (32.18)	884	902	685	609	3080 (31.30)	2203	2192	2400	2015	8810 (31.87)
09-10	1283	1076	2172	1474	6005 (33.73)	843	764	1076	625	3308 (33.61)	2126	1840	3248	2099	9313 (33.69)
10-11	1060	1114	2100	1795	6069 (34.09)	871	719	938	925	3453 (35.09)	1931	1833	3038	2720	9522 (34.45)

2.8.3 अतः स्पष्ट है कि योजना के प्रारम्भ वर्ष में कुल छात्र–छात्राओं की संख्या 8810 (31.87 प्रतिशत) थी जो वर्ष 2010–11 में बढ़कर 9525 (34.45 प्रतिशत) हो गई अर्थात् कुल छात्र–छात्राओं की संख्या में 2.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार वर्ष 2008–09 में कुल छात्र संख्या 5730 (32.18 प्रतिशत) थी जो वर्ष 2010–11 में 6069 (34.09 प्रतिशत) हो गई अर्थात् कुल 339 (1.91 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, वही छात्राओं की संख्या 2008–09 में 3080 (31.30 प्रतिशत) थी जो वर्ष 2010–11 में 3453 (35.09 प्रतिशत) हो गई अर्थात् कुल 373 (3.79 प्रतिशत) छात्राएं बढ़ी। छात्रों की अपेक्षा छात्राओं की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है।

2.8.4 चयनित विद्यालयों में वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक अध्ययनरत 27645 विद्यार्थियों में से 11467 (41.48 प्रतिशत) विद्यार्थी ही योजनान्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। योजनान्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त 11467 छात्र/छात्राओं का कक्षावार एवं वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

अध्ययनरत विद्यार्थियों में से आई सी टी योजनान्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त छात्र–छात्राओं की संख्या

(संख्या)

वर्ष	कक्षावार छात्र संख्या					कक्षावार छात्रा संख्या					कक्षावार छात्र–छात्राओं का योग				
	IX	X	XI	XII	योग	IX	X	XI	XII	योग	IX	X	XI	XII	योग
08-09	951	930	87	57	2025	779	809	125	96	1809	1730	1739	212	153	3834
09-10	1027	841	212	119	2199	719	668	182	123	1692	1746	1509	394	242	3891
10-11	809	826	190	183	2008	732	609	216	177	1734	1541	1435	406	360	3742
योग	2787	2597	489	359	6232	2230	2086	523	396	5235	5017	4690	1012	755	11467

2.8.5 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में से वर्ष 2008–09 में 3834 (43.52 प्रतिशत), वर्ष 2009–10 में 3891 (33.93 प्रतिशत) एवं वर्ष 2010–11 में 3742 (32.64 प्रतिशत) विद्यार्थियों को योजनान्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा दी गयी।

2.8.6 योजनान्तर्गत चयनित 28 विद्यालयों में 10 कम्प्यूटर प्रति विद्यालय उपलब्ध करवाये गये जिन्हें 14 (50 प्रतिशत) विद्यालयों के संस्था प्रधानों ने पर्याप्त तथा शेष 14 (50 प्रतिशत) विद्यालयों के संस्थान प्रधानों ने अपर्याप्त बताते हुये अधिक संख्या में कम्प्यूटर उपलब्ध करवाने की मांग की। योजनान्तर्गत उपलब्ध करवाये गये कम्प्यूटरों की स्थिति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

विद्यालयों में आई.टी.सी.योजनान्तर्गत उपलब्ध कम्प्यूटरों की स्थिति

(संख्या)

क्र. सं.	जिले का नाम	विद्यालयों की संख्या	कुल उपलब्ध कराये कम्प्यूटरों की संख्या	पर्याप्त		अपर्याप्त हो तो और कितने कम्प्यूटर चाहिए	कम्प्यूटरों की स्थिति	
				हाँ	नहीं		चालू	खराब
1.	अजमेर	4	40	1	3	50	37	3
2.	भरतपुर	4	40	1	3	30	38	2
3.	झुन्झुनू	4	40	2	2	25	38	2
4.	जयपुर	4	40	2	2	15	40	–
5.	जोधपुर	4	40	1	3	65	38	2
6.	कोटा	4	40	4	–	–	22	18
7.	चित्तौडगढ़	4	40	3	1	20	20	20
	योग	**28**	**280**	**14**	**14**	**205**	**233**	**47**

2.8.7 तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि योजनान्तर्गत चयनित 28 विद्यालयों में 10 कम्प्यूटर प्रति विद्यालय की दर से कुल 280 कम्प्यूटर विद्यालयों में उपलब्ध करवाये गये। उपलब्ध करवाये गये कम्प्यूटरों को 14 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने पर्याप्त बताया तथा 14 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने अपर्याप्त बताते हुये कुल 205 कम्प्यूटर योजनान्तर्गत अतिरिक्त उपलब्ध करवाने की मांग की। विद्यालयों में उपलब्ध करवाये गये कुल 280 कम्प्यूटरों में से 233 कम्प्यूटर चालू स्थिति में एवं 47 कम्प्यूटर खराब थे। खराब कम्प्यूटरों को सम्बन्धित फर्म द्वारा नियुक्त कार्मिक ही बुलाने पर ठीक करता है इसके अतिरिक्त अन्य व्यवस्था विद्यालयों में नहीं है। विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका ने क्षेत्रीय कार्य के दौरान अवगत कराया कि सेवा प्रदाता/ फर्म के प्रतिनिधि को दो–तीन बार बुलाने पर ही वे विद्यालय में एक बार कम्प्यूटर ठीक करने आते है इससे खराब कम्प्यूटर निर्धारित समय सीमा में ठीक नहीं होते हैं।

2.8.8 सेवा प्रदाता/फर्म द्वारा चयनित 28 विद्यालयों में से मात्र 10 (35.71 प्रतिशत) विद्यालयों के अध्यापकों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया गया, शेष 18 (64.29 प्रतिशत) विद्यालयों के शिक्षकों को कम्प्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। 10 विद्यालयों में एक से दो शिक्षक प्रति विद्यालय औसतन 3 दिवस का प्रशिक्षण दिया गया जिसे मात्र 1 विद्यालय ने पर्याप्त एवं 9 विद्यालयों ने अपर्याप्त बताते हुये दिये गये प्रशिक्षण को मात्र खानापूर्ति करना बताया। प्रशिक्षण प्राप्त 10 विद्यालयों के शिक्षकों में से मात्र 1 विद्यालय का एक शिक्षक ही कम्प्यूटर के माध्यम से गणित के सूत्र इत्यादि कार्य करवाना अवगत कराया, जबकि योजनान्तर्गत इन्टरनेट/मॉडम से विषयवार अध्ययन कार्य करवाने का प्रावधान है।

2.8.9 चयनित 28 विद्यालयों में सेवा प्रदाता/फर्म द्वारा विषयों के कठिन अंशों को बोधगम्य बनाने हेतु सी.डी.उपलब्ध नहीं करवायी गयी जिससे विद्यालयों में निर्धारित पाठयक्रम के अनुसार छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षण से शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि नहीं हुई।

2.8.10 सेवा प्रदाता/फर्म द्वारा विद्यालयों के कम्प्यूटरों के रखरखाव एवं मरम्मत की व्यवस्था से 4 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने सन्तुष्टता एवं 24 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने असन्तुष्टता प्रकट की। सन्तुष्टता एवं असन्तुष्ठता का विवरण तालिका में दर्शाया गया है :–

विद्यालयों के कम्प्यूटरों के रखरखाव एवं मरम्मत की व्यवस्था का विवरण

(संख्या)

क्र.सं.	चयनित जिला	चयनित विद्यालय	सन्तुष्ट	असन्तुष्ट
1	अजमेर	4	—	4
2.	भरतपुर	4	—	4
3.	जोधपुर	4	2	2
4.	जयपुर	4	2	2
5.	झुन्झुनू	4	—	4
6.	कोटा	4	—	4
7.	चित्तौडगढ़	4	—	4
	योग	**28**	**4**	**24**

2.8.11 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जोधपुर एवं जयपुर जिले के 2–2 विद्यालयों के प्रधानाचार्य कम्प्यूटरों के रखरखाव एवं मरम्मत व्यवस्था से सन्तुष्ट तथा शेष 24 असन्तुष्ट प्रधानाचार्यों का तर्क था कि विद्यालय में कम्प्यूटर अधिकांश समय खराब रहते हैं जिसका प्रमुख कारण सेवा प्रदाता/फर्म द्वारा इनको समय पर ठीक नहीं किया जाना है। अतः विभाग को इस ओर विशेष ध्यान देकर सेवा प्रदाता/फर्म को समय पर कम्प्यूटरों में आवश्यक सुधार कराने सम्बन्धी अनुबन्ध की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावें।

2.8.12 चयनित विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं की पर्याप्तता/अपर्याप्तता के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य, सेवा प्रदाता/फर्म एवं योजना से सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारियों के विचारों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

क्र. सं.	नाम सुविधा	चयनित 28 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के अनुसार		चयनित 50 कार्यकारी अधिकारियों के अनुसार		चयनित 22 सेवा प्रदाता/ फर्म के प्रतिनिधियों के अनुसार		कुल चयनित 100 उत्तरदाताओं के अनुसार	
		पर्याप्त	अपर्याप्त	पर्याप्त	अपर्याप्त	पर्याप्त	अपर्याप्त	पर्याप्त	अपर्याप्त
1.	हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर	14	14	32	18	12	10	58	42
2.	भवन मय संसाधन	21	7	22	28	19	3	62	38
3.	फर्नीचर	23	5	42	8	18	4	83	17
4.	एक्सेसरीज	17	11	33	17	17	5	67	33
5.	कन्ज्यूमेबल्स	9	19	28	22	17	5	54	46
6.	रखरखाव व्यवस्था	4	24	31	19	16	6	51	49
7.	पानी–बिजली	26	2	41	9	16	6	83	17
8.	प्रशिक्षण सुविधा एवं समय	15	13	23	27	14	8	52	48
9.	प्रबोधन एवं विविध व्यय	9	19	29	21	16	6	54	46
10.	अनुदेशक की योग्यता	21	7	37	13	20	2	78	22
11.	पाठ्यक्रम	9	19	23	27	16	6	48	52

2.8.13 तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि फर्नीचर एवं पानी बिजली की सुविधा को 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पर्याप्त एवं 17 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपर्याप्त बताया, अनुदेशक की योग्यता को 78 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पर्याप्त व 23 प्रतिशत ने अपर्याप्त बताया, भवन मय संसाधन को 62 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पर्याप्त बताया जबकि 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपर्याप्त बताया, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर को 58 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पर्याप्त बताया जबकि 42 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपर्याप्त बताया, एक्सेसरीज को 67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पर्याप्त जबकि 33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपर्याप्त बताया, प्रशिक्षण सुविधा एवं अन्य सयंत्र तथा प्रबोधन व विविध व्यय को लगभग 50 प्रतिशत उत्तरदाता अपर्याप्त व 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपर्याप्त बताया एवं पाठ्यक्रम सुविधा को मात्र 48 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ही पर्याप्त बताया जबकि 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपर्याप्त बताया। इस प्रकार विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं को सन्तोषप्रदन नहीं माना जा सकता तथा इन सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार की महत्ती आवश्यकता है।

2.8.14 आई.टी.सी.कार्यक्रम के अन्तर्गत बूट मॉडल के आधार पर उपलब्ध कराये गये संसाधनों का भौतिक सत्यापन चयनित 28 विद्यालयों में किया गया जिनकी स्थिति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

आई.टी.सी.योजना के अन्तर्गत बूट मॉडल के आधार पर उपलब्ध कराये गये संसाधनों का भौतिक सत्यापन का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	कम्प्यूटर किट सम्बन्धी विवरण	विद्यालय को उपलब्ध करवाये गये संसाधन का विवरण			विद्यालय में उपलब्ध संसाधन		उपलब्ध संसाधन की स्थिति		
		उपलब्ध संख्या	अनुपलब्ध संख्या	कुल निर्धारित संख्या	संख्या	कम संसाधनों की संख्या	चालू संसाधनों की संख्या	खराब/बन्द संसाधनों की संख्या	खराब/बन्द संसाधन वाले विद्यालयों की संख्या
1.	कम्प्यूटर	275	5	280	270	5	223	47	13
2.	टर्मिनल के साथ सर्वर	18	10	28	18	–	10	8	8
3.	प्रोजेक्टर	28	–	28	27	1*	26	1	1
4.	प्रिन्टर	28	–	28	28	–	21	7	7
5.	स्केनर	28	–	28	28	–	24	4	4
6.	वेब केमरा	26	2	28	26	–	24	2	2
7.	मॉडम	22	6	28	22	–	19	3	3
8.	ब्राडबैण्ड एन्टीना	10	18	28	10	–	9	1	1
9.	जनरेटर	28	–	28	28	–	27	1	1
10.	सौलर पैकेज	1	27	28	1	–	–	1	1
11.	यू.पी.एस.	48	8	56	48	–	26	22	12
12.	वीडिया केमरा	–	28	28	–	–	–	–	–
13.	शैक्षणिक सॉफ्टवेयर तथा सी.डी. रोम	6	22	28	6	–	6	–	–
14.	फर्नीचर	28	–	28	28	–	28	–	–

*** खराब होने से जिला स्तरीय लैब में गया हुआ था।**

2.8.15 तालिका के अनुसार चयनित 28 विद्यालयों में 10 कम्प्यूटर प्रति विद्यालय की दर से 280 कम्प्यूटर उपलब्ध करवाये जाने थे लेकिन 5 विद्यालयों में 9 कम्प्यूटर प्रति विद्यालय तथा शेष 13 विद्यालयों में 10 कम्प्यूटर प्रति विद्यालय की दर से कुल 275 कम्प्यूटर उपलब्ध करवाये गये। उपलब्ध कम्प्यूटरों में से एक विद्यालय से 5 कम्प्यूटर चोरी हो जाने से विद्यालयों में 270 कम्प्यूटर उपलब्ध पाये गये। इनमें से 223 कम्प्यूटर कार्यशील थे जबकि 13 विद्यालयों में 47 कम्प्यूटर अकार्यशील पाये गये।

2.8.16 टर्मिनल के साथ सर्वर 18 विद्यालयों में उपलब्ध कराया गया तथा 10 विद्यालयों में उपलब्ध ही नहीं करवाया गया। उपलब्ध कराये गये 10 विद्यालयों में टर्मिनल के साथ सर्वर कार्यशील पाये गये जबकि 8 विद्यालयों में अकार्यशील पाये गये। प्रोजेक्टर चयनित 28 विद्यालयों में उपलब्ध करवाये गये जिनमें से एक प्रोजेक्टर जिला कम्प्यूटर लैब में भेजा हुआ था जिससे सर्वे दिनांक को 27 प्रोजेक्टर विद्यालयों में उपलब्ध पाये गये जिनमें से 26 कार्यशील एवं 1 प्रोजेक्टर खराब होने से अकार्यशील पाया गया।

2.8.17 स्केनर 28 विद्यालयों में उपलब्ध पाये गये जिन में से 4 विद्यालयों के 4 स्केनर खराब पाये गये एवं 24 चालू स्थिति में पाये गये। वेब कैमरा चयनित 28 विद्यालयों में से 26 विद्यालयों में उपलब्ध कराये गये तथा 2 विद्यालयों में योजनान्तर्गत उपलब्ध ही नहीं करवाये गये। उपलब्ध 26 विद्यालयों के वैब कैमरों में से 24 कार्यशील एवं 2 खराब होने से अकार्यशील पाये गये। मॉडम 22 विद्यालयों में उपलब्ध करवाये गये जबकि 6 विद्यालयों को उपलब्ध ही नहीं करवाये गये। उपलब्ध करवाये गये 22 मॉडम में से 19 कार्यशील तथा 3 विद्यालयों के मॉडम अकार्यशील पाये गये। चयनित 28 विद्यालयों में से मात्र 10 विद्यालयों में ही ब्राडबैण्ड एन्टीना उपलब्ध कराया गया जिसमें से 9 ब्राडबैण्ड एन्टीना कार्यशील एवं 1 खराब होने से अकार्यशील पाया गया।

2.8.18 बिजली के अभाव में अध्ययन कार्य बाधित न हो इस उद्देश्य से चयनति 28 विद्यालयों में जनरेटर उपलब्ध कराये गये जिनमें से मात्र 1 जनरेटर खराब पाया गया। सोलर पैकेज मात्र 1 विद्यालय में उपलब्ध कराया गया था जो सर्वे दिनांक को अकार्यशील पाया गया। 28 चयनित विद्यालयों में यू.पी.एस. 56 उपलब्ध करवाये जाने थे जिनमें से 48 ही उपलब्ध करवाये गये जिनमें से 26 कार्यशील एवं 12 विद्यालयों के 22 यू.पी.एस. खराब होने से अकार्यशील पाये गये। वीडियो कैमरा एवं फर्नीचर चयनित सभी विद्यालयों में निर्धारित मात्रा में पाया गया। शैक्षणिक सॉफ्टवेयर तथा सी.डी.रोम 6 विद्यालयों में ही उपलब्ध कराया गया तथा शेष 22 विद्यालयों को उपलब्ध नहीं करवाया गया। इन ही तथ्यों की पुष्टि सेवा प्रदाता/फर्म के चयनित 22 प्रतिनिधियों एवं योजना क्रियान्वयन से सम्बन्धित 50 कार्यकारी अधिकारियों ने की। इस प्रकार योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये संसाधनों की स्थिति को सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। इसमें सुधार एवं रखरखाव की महत्ती आवश्यकता महसूस की गयी है तथा जो संसाधन फर्म

द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया उस पर कार्यवाही की आवश्यकता है। उपलब्ध करवाये गये संसाधन जो खराब पाये गये उन्हें संस्था प्रधान द्वारा समय पर ठीक करवाने की कार्यवाही सेवाप्रदाता/फर्म के माध्यम से शीघ्र की जानी चाहिए, यदि सेवाप्रदाता/फर्म समय पर कार्यवाही नहीं करती है तो उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जाना चाहिए।

2.8.19 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आई.सी.टी. योजनान्तर्गत संचालित कम्प्यूटर शिक्षा के माध्यम से छात्र व छात्रायें ज्ञान प्राप्त कर अपना भविष्य उज्जवल बनाने हेतु प्रयासरत है। योजना के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त निरीक्षण व्यवस्था, कम्प्यूटर के जानकार प्रशिक्षित कार्मिक, योजनान्तर्गत नियुक्त अनुदेशकों को ग्रामीण क्षेत्र के अनुभव का अभाव, पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता तथा उपलब्ध संसाधनों (कम्प्यूटरों) की मरम्मत समय पर नहीं होने से योजना का सुदृढ़ क्रियान्वयन का अभाव पाया गया। अतः योजना के सफल संचालन हेतु उक्त कठिनाइयों का निवारण किया जाकर विभाग को आवश्यक कार्यवाही अमल में लानी चाहिये।

————

अध्याय – तृतीय

अध्ययन के परिणाम

3.1.0 शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित आई.टी.सी. योजना के लिये निर्धारित ढ़ांचागत उपकरणों की भौतिक स्थिति, प्रशिक्षकों की भूमिका तथा विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय की सहायता से समालोचक चिन्तन एवं विश्लेषणात्मक कौशल के विकास की स्थिति का आंकलन कर योजना के प्रभावों की समीक्षा हेतु प्रत्येक चयनित जिले से प्रति जिला 4–4 विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत प्रति कक्षा 5 छात्र/छात्राओं, सेवा प्रदाता/फर्म का प्रतिनिधि, शिक्षक/अनुदेशक व योजना क्रियान्वयन से सम्बन्धित अधिकारी एवं चयनित विद्यालयों में योजनान्तर्गत प्रदत्त कम्प्यूटर किट का भौतिक सत्यापन तथा रखरखाव के सम्बन्ध में सूचनायें संकलित कर उनका विश्लेषण किया गया। इस हेतु क्षेत्र कार्य के दौरान निम्नानुसार अनुसूचियों में समंक/सूचनाऐं एकत्र की गई :–

अध्ययन के क्षेत्र कार्य के दौरान भरी गयी अनुसूचियों का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	मण्ड़ल का नाम	चयनित जिला	राज्य प्रलेख अनुसूची	जिला प्रलेख अनुसूची	विद्यालय अनुसूची	कार्यकारी अनुसूची	शिक्षक अनुसूची	विद्यार्थी अनुसूची	सेवा प्रदाता फर्म अनुसूची	अवलोकन टिप्पणी
1.	अजमेर	अजमेर–I	1	1	4	13	4	80	4	1
2.	भरतपुर	भरतपुर		1	4	5	4	51	3	1
3.	चूरू	झुन्झुनू		1	4	9	13	80	1	1
4.	जयपुर	जयपुर–I		1	4	7	7	80	4	1
5.	जोधपुर	जोधपुर		1	4	5	3	80	1	2
6.	कोटा	कोटा		1	4	5	8	80	4	2
7.	उदयपुर	चित्तौडगढ़		1	4	6	8	80	5	1
		योग	**1**	**7**	**28**	**50**	**47**	**531**	**22**	**9**

3.2.0 चयनित विद्यालयों का विवरण :

3.2.1 योजना के मूल्यांकन हेतु चयनित 28 विद्यालयों में से 21 छात्र विद्यालय एवं 7 छात्रा विद्यालय के चयनित 531 छात्र/छात्राओं का कक्षावार विवरण निम्नानुसार है :–

चयनित छात्र/छात्राओं का कक्षावार विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित छात्र/ छात्राओं की संख्या	कक्षावार विवरण			
			कक्षा–9	कक्षा–10	कक्षा–11	कक्षा–12
1.	अजमेर	80	20	20	22	18
2.	भरतपुर	51	11	24	4	12
3.	जोधपुर	80	20	20	20	20
4.	जयपुर	80	20	20	20	20
5.	झुन्झुनू	80	20	20	20	20
6.	कोटा	80	20	20	20	20
7.	चित्तौडगढ़	80	20	19	20	21
	योग	**531**	**131**	**143**	**126**	**131**

3.2.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अध्ययन के क्षेत्र कार्य के समय कुल 531 छात्र/छात्राओं में से 131 छात्र/छात्रायें कक्षा–9 में, 143 छात्र/छात्रायें कक्षा–10 में, 126 छात्र/छात्रायें कक्षा–11 में एवं 131 छात्र/छात्रायें कक्षा–12 में अध्ययनरत थे।

3.2.3 चयनित सात जिलों के 28 विद्यालयों के 531 विद्यार्थियों से विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है या नहीं के उत्तर में 346 (65.16 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा दिया जाना स्वीकार किया, शेष 185 (34.84 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने कम्प्यूटर शिक्षा दिये जाने से इन्कार किया। चयनित जिलों के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा का विवरण

(संख्या)

क्र.सं.	जिले का नाम	उत्तरदाता	कम्प्यूटर शिक्षा दी गयी	
			हाँ	नहीं
1.	अजमेर	80	30	50
2.	भरतपुर	51	36	15
3.	जोधपुर	80	77	3
4.	जयपुर	80	49	31
5.	झुन्झुनू	80	35	45
6.	कोटा	80	80	–
7.	चित्तौडगढ़	80	39	41
	योग	**531**	**346**	**185**
	प्रतिशत		**65.16**	**34.84**

3.2.4 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चयनित 531 विद्यार्थियों में से केवल 346 (65.16 प्रतिशत) विद्यार्थियों को ही कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है, **अतः इस अध्याय में शेष परिणाम कम्प्यूट शिक्षा प्राप्त 346 विद्यार्थियों पर ही आधारित है।**

3.2.5 जिन 185 (34.84 प्रतिशत) विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा नहीं दी जा रही है उन्होंने बताया कि कक्षा 11 व 12 में कम्प्यूटर शिक्षा नहीं दी जाती है। अतः यह उचित होगा कि योजना के उद्देश्यों को मध्यनजर रखते हुए कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों को भी कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जावें।

3.2.6 विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से कम्प्यूटर द्वारा विषयवार अध्यापन कार्य करवाये जाने के सम्बन्धत में जानकारी चाही तो शत–प्रतिशत छात्र/छात्रा ने बताया कि उन्हें विषयवार कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है जिसके प्रमुख कारणों से अवगत कराते हुए बताया कि विषयवार कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उपलब्ध न होना, इन्टरनेट/मॉडम का अभाव, अध्यापकों का प्रशिक्षित न होना एवं कम्प्यूटर शिक्षा के नाम पर केवल कम्प्यूटर सम्बन्धित सामान्य जानकारी ही उपलब्ध करायी जाती है। अतः विभाग द्वारा समस्त विद्यालयों में विषयवार अध्ययन कार्य इन्टरनेट/मॉडम द्वारा कम्प्यूटर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के साथ–साथ सम्बन्धित शिक्षण कार्य हेतु अध्यापकों के पूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित कराया जाना चाहिए।

3.2.7 चयनित विद्यालयों में दी जा रही कम्प्यूटर शिक्षा से ज्ञानवर्द्धन का स्तर एवं सन्तुष्टि की स्थिति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

(संख्या)

क्र. सं.	जिले का नाम	चयनित विद्यार्थी	ज्ञानवर्द्धन का स्तर			कम्प्यूटर शिक्षा से सन्तुष्टि	
			बहुत अच्छा	ठीक	सामान्य	हाँ	नहीं
1.	अजमेर	30	2	3	25	13	17
2.	भरतपुर	36	3	3	30	14	22
3.	जोधपुर	77	7	17	53	39	38
4.	जयपुर	49	–	6	43	19	30
5.	झुन्झुनू	35	–	13	22	28	7
6.	कोटा	80	–	6	74	9	71
7.	चित्तौडगढ़	39	–	–	39	9	30
	योग	**346**	**12**	**48**	**286**	**131**	**215**
	प्रतिशत		**3.47**	**13.87**	**82.66**	**37.86**	**62.14**

3.2.8 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त 346 विद्यार्थियों में से मात्र 12 (3.47 प्रतिशत) विद्यार्थियों का ज्ञानवर्द्धन बहुत अच्छा, 48 (13.87 प्रतिशत) विद्यार्थियों का ज्ञानवर्द्धन ठीक एवं 286 (82.66 प्रतिशत) विद्यार्थियों का ज्ञानवर्द्धन सामान्य स्तर का रहा। कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त 346 विद्यार्थियों में से 131 (37.86 प्रतिशत) विद्यार्थी सन्तुष्ट तथा शेष 215 (62.14 प्रतिशत) विद्यार्थी असन्तुष्ट पाये गये।

3.2.9 चयनित 346 विद्यार्थियों में से 121 (34.97 प्रतिशत) विद्यार्थी ऐसे थे जो कम्प्यूटर को अच्छी तरह से संचालित करने में सक्षम थे, जबकि 225 (65.03 प्रतिशत) विद्यार्थी कम्प्यूटर को अच्छी तरह से संचालित करने में सक्षम नहीं थे। कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों द्वारा कम्प्यूटर संचालित करने की स्थिति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित विद्यार्थियों की संख्या	कम्प्यूटर संचालन में सक्षम हुए		कम्प्यूटर संचालित करने में सक्षम हुये का प्रकार	
			हाँ	नहीं	कम्प्यूटर को चालू करना व बन्द करना तथा गेम खेलना	स्वंय के प्रशिक्षण से
1.	अजमेर	30	8	22	7	1
2.	भरतपुर	36	13	23	13	–
3.	जोधपुर	77	32	45	32	–
4.	जयपुर	49	24	25	23	1
5.	झुन्झुनू	35	28	7	28	–
6.	कोटा	80	6	74	6	–
7.	चित्तौडगढ़	39	10	29	10	–
	योग	**346**	**121**	**225**	**119**	**2**
	प्रतिशत	**100.00**	**34.97**	**65.03**	**98.34**	**1.66**

3.2.10 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कम्प्यूटर संचालन में सक्षम हुए 121 विद्यार्थियों में से 119 (98.34 प्रतिशत) विद्यार्थी कम्प्यूटर को चालू करना, गेम खेलना, पेन्टिंग करना व बन्द करना तथा 2 (1.66 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने स्वंय के प्रशिक्षण से कम्प्यूटर संचालन में सक्षम हुये। 225 (65.03 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने कम्प्यूटर संचालन में दक्षता प्राप्त नहीं होने के प्रमुख कारणों में बताया कि कम्प्यूटरों का कम संख्या में होने, अधिकांश समय कम्प्यूटर खराब रहने, कम्प्यूटर के अध्यापकों/अनुदेशक का अभाव, कक्षा कालांश कम होने से कम्प्यूटर की पूर्ण जानकारी नहीं होना बताया। इस प्रकार अधिकांश विद्यार्थियों को कम्प्यूटर की शिक्षा नहीं मिली तथा जिनको शिक्षा मिली वे पूर्णतया कम्प्यूटर संचालन में सक्षम नहीं हुये, जो एक चिन्तनीय स्थिति है जिसके कारण कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का योजना का मूल उद्देश्य प्राप्त करना असम्भवसा प्रतीत होता है। अतः उचित होगा कि नियुक्त अनुदेशक पूर्णकालीन हो, अध्यापकों को इन्टरनेट/मॉडम द्वारा कम्प्यूटर शिक्षण अध्यापन कार्य का पूर्ण प्रशिक्षण दिया जावें एवं नये नियुक्त होने वाले अध्यापकों की नियुक्ति योग्यता में कम्प्यूटर द्वारा शिक्षण प्रदान करने की योग्यता को सम्मिलित किया जावें।

3.3.0 कम्प्यूटर की उपलब्धता एवं लैब व्यवस्था :

3.3.1 आई.सी.टी.योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों के जिन 346 विद्यार्थियों ने कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त की उन्हें सामान्यतः एक कम्प्यूटर पर एक ग्रुप में एक साथ कितने विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है, का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित विद्यार्थियों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या			
			1–2 तक	3–4 तक	5–6 तक	7–8 तक
1.	अजमेर	30	10	10	5	5
2.	भरतपुर	36	16	9	10	1
3.	जोधपुर	77	36	29	5	7
4.	जयपुर	49	28	21	–	–
5.	झुन्झुनू	35	13	22	–	–
6.	कोटा	80	15	61	4	–
7.	चित्तौडगढ़	39	13	13	13	–
	योग	**346**	**131**	**165**	**37**	**13**

3.3.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त शत–प्रतिशत विद्यार्थियों को ग्रुप के रूप में कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है। सबसे अधिक 165 (47.69 प्रतिशत) विद्यार्थियों को 3 से 4 के समूह में, 131 (37.86 प्रतिशत) विद्यार्थियों को 1 से 2 के समूह में, 37 (10.69 प्रतिशत) विद्यार्थियों को 5 से 6 के समूह में एवं 13 (3.76 प्रतिशत) विद्यार्थियों को 7 से 8 तक के समूह में शिक्षा दी गई है।

3.3.3 कक्षा में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटरों को 54 (15.61 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने पर्याप्त एवं 280 (80.92 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने अपर्याप्त बताया, जबकि 12 (3.47 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने उत्तर नहीं दिया। पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं होने के कारणों में बताया कि छात्र संख्या के अनुसार कम संख्या में कम्प्यूटर उपलब्ध करवाना एवं उपलब्ध कम्प्यूटरों में भी अधिकांश कम्प्यूटर खराब रहने से व चोरी हो जाने से कम्प्यूटरों का विद्यालयों में अभाव रहा।

3.3.4 चयनित 346 विद्यार्थियों में से 319 (92.20 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने कम्प्यूटरों को चालू हालत में बताया तथा 16 (4.62 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने खराब स्थिति में बताया, 11 (3.18 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने उत्तर नहीं दिया।

3.3.5 कम्प्यूटर खराब हो जाने पर कितने समय में कम्प्यूटर ठीक हो जाता है इस बाबत 346 उत्तरदाता विद्यार्थियों ने निम्नानुसार बताया :–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	उत्तर–दाताओं की संख्या	कम्प्यूटर कक्ष में कम्प्यूटर खराब हो जाता है तो वह कितने माह में ठीक हो पाता है					
			1 माह	2 माह	3 माह	4 माह	अनिश्चित काल	कोई प्रतिक्रिया नहीं
1.	अजमेर	30	–	10	20	–	–	–
2.	भरतपुर	36	2	1	1	4	22	6
3.	जोधपुर	77	57	3	–	5	–	12
4.	जयपुर	49	–	–	–	–	–	49
5.	झुन्झुनू	35	1	6	–	–	28	–
6.	कोटा	80	54	17	–	–	–	9
7.	चित्तौडगढ़	39	–	–	–	–	39	–
	योग	**346**	**114**	**37**	**21**	**9**	**89**	**76**
	प्रतिशत		**32.95**	**10.69**	**6.07**	**2.60**	**25.73**	**21.96**

3.3.6 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कम्प्यूटरों की मरम्मत का कार्य समय पर नहीं हो रहा है। चयनित 346 विद्यार्थियों में से 114 (32.95 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने 1 माह में, 37 (10.69 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने 2 माह में, 21 (6.07 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने 3 माह में, 9 (2.60 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने 4 माह, 89 (25.73 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने बताया कि अनिश्चित काल तक कम्प्यूटर ठीक ही नहीं करवाये जाते है, जबकि 76 (21.96 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिक्रिया प्रकट ही नहीं की। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सेवा प्रदाता/फर्म की सेवायें सन्तोषजनक नहीं है जिसमें सुधार की महत्ती आवश्यकता है।

3.3.7 विद्यालयों में इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध है या नहीं के बारे में निम्न प्रकार से जानकारी दी गयी :–

क्र. सं.	जिले का नाम	उत्तरदाताओं की संख्या	क्या कम्प्यूटर पर इन्टरनेट की सुविधा प्रदान की जा रही है		
			हाँ	नहीं	राय प्रकट नहीं की
1.	अजमेर	30	24	6	–
2.	भरतपुर	36	6	30	–
3.	जोधपुर	77	2	68	7
4.	जयपुर	49	6	39	4
5.	झुन्झुनू	35	2	33	–
6.	कोटा	80	1	79	–
7.	चित्तौडगढ़	39	39	–	–
	योग	**346**	**80**	**255**	**11**
	प्रतिशत	**100**	**23.12**	**73.70**	**3.18**

3.3.8 विद्यालयों में कम्प्यूटर पर इन्टरनेट सुविधा प्रदान की जा रही है इसमें 80 (23.12 प्रतिशत) विद्यार्थी सहमत तथा 255 (73.70 प्रतिशत) विद्यार्थी असहमत थे, शेष 11 (3.18 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने अपनी राय प्रकट नहीं की, जबकि विभाग द्वारा समस्त विद्यालयों में इन्टरनेट/मॉडम की सुविधा प्रदान किया जाना बताया है। अतः विभाग द्वारा इस तथ्य का पता लगाया जाना चाहिए कि वहां इन्टरनेट/मॉडम सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं करायी गई।

3.3.9 चयनित विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब की उपलब्धता एवं स्थिति के बारे में निम्नानुसार जानकारी उपलब्ध करवायी गई :–

आई.सी.टी.लैब की उपलब्धता/रखरखाव की व्यवस्था का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	जिले का नाम	उत्तरदाताओं की संख्या	क्या विद्यालय में आई.सी.टी.लैब उपलब्ध है		लैब की स्थिति			
			हाँ	नहीं	अच्छी	सन्तोषप्रद	खराब	राय प्रकट नहीं की
1.	अजमेर	30	30	–	–	28	2	–
2.	भरतपुर	36	36	–	–	19	17	–
3.	जोधपुर	77	77	–	29	40	1	7
4.	जयपुर	49	49	–	13	31	–	5
5.	झुन्झुनू	35	35	–	25	5	5	–
6.	कोटा	80	80	–	–	66	14	–
7.	चित्तौडगढ़	39	39	–	10	20	9	–
	योग	**346**	**346**	**–**	**77**	**209**	**48**	**12**
	प्रतिशत	**100**	**100.00**	**–**	**22.25**	**60.40**	**13.87**	**3.48**

3.3.10 उपलबध जानकारी से स्पष्ट होता है कि 346 विद्यार्थियों (शत–प्रतिशत) ने लैब उपलब्ध होना बताया, जो योजना क्रियान्वयन हेतु आवश्यक थी।

3.3.11 विद्यालयों में स्थापित आई.सी.टी. लैब रखरखाव की व्यवस्था के बारे में 346 विद्यार्थियों में से 77 (22.25 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने अच्छी, 209 (60.40 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने सन्तोषप्रद एवं 48 (13.87 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने खराब बताया, शेष 12 (3.48 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने प्रत्युत्तर नहीं दिया।

3.3.12 आई.सी.टी.लैब के रखरखाव व्यवस्था को खराब बताने वाले 48 विद्यार्थियों ने बताया कि कम्प्यूटर बक्सों में बन्द रहते है, क्योंकि लैब से एक बार कम्प्यूटर चोरी हो चुका हैं। लैब में पंखे व फर्नीचर का अभाव बताते हुये रखरखाव व्यवस्था से विद्यार्थी असन्तुष्ट थे।

3.3.13 आई.सी.टी. लैब में पावर ब्रेक या तकनीकी खराबी को छोड़कर विद्युत प्रवाह सामान्य रहने से चयनित 346 विद्यार्थियों में से 292 (84.39 प्रतिशत) विद्यार्थी सहमत तथा 42 (12.14 प्रतिशत) विद्यार्थी असहमत थे, शेष 12 (3.47 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

आई.सी.टी.लैब में विद्युत प्रवाह सामान्यतः नियमित है (पावर ब्रेक व तकनीकी खराबी को छोड़कर) का विवरण

(संख्या)

क्र.सं.	जिले का नाम	उत्तरदाताओं की संख्या	हाँ	नहीं	उत्तर नहीं दिया
1.	अजमेर	30	20	10	–
2.	भरतपुर	36	23	13	–
3.	जोधपुर	77	70	–	7
4.	जयपुर	49	42	2	5
5.	झुन्झुनू	35	35	–	–
6.	कोटा	80	79	1	–
7.	चित्तौडगढ़	39	23	16	–
	योग	**346**	**292**	**42**	**12**
	प्रतिशत	**100**	**84.39**	**12.14**	**3.47**

3.4.0 **कम्प्यूटर से पाठ्यक्रम में रूचि :**

3.4.1 चयनित 346 विद्यार्थियों में से 182 (52.60 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने कम्प्यूटर शिक्षा से पाठ्यक्रम के प्रति रूचि जागृत करने में सक्षम बताया जबकि 164 (47.40 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने रूचि जागृत करने में असक्षम बताया। इस सम्बन्ध में 50 सरकारी/गैर–सरकारी उत्तरदाताओं में से 45 (90.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बताया कि कम्प्यूटर शिक्षा से सूचना एवं संचार तकनीकी के संवर्द्धन में वृद्धि हुई है।

3.4.2 विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा से अपेक्षाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(1) कम्प्यूटर का तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर मानसिक विकास में वृद्धि।

(2) कम्प्यूटर कोर्स से उच्चतर अध्ययन सम्भव एवं रोजगार प्राप्ति में सहायक।

(3) कम्प्यूटर के माध्यम से पाठ्यक्रम अध्ययन का कार्य सरल एवं सुखद।

(4) कम्प्यूटर के माध्यम से अध्ययन की शैक्षणिक प्रक्रिया सरल एवं मितव्ययी।

3.5.0 कम्प्यूटर शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षकों की स्थिति :

3.5.1 चयनित विद्यालयों से चयनित 46 संस्था प्रधान/ प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका/विषयक अध्यापक/अध्यापिका एवं कम्प्यूटर शिक्षा के प्रभारी अध्यापक/ अध्यापिका इत्यादि जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योजना क्रियान्वयन से सम्बन्धित थे उनमें से 2 (4.35 प्रतिशत) शारीरिक शिक्षक एवं 44 (95.65 प्रतिशत) शिक्षक विभिन्न विषयों का अध्ययन कार्य से सम्बन्धित थे। 44 शिक्षकों में से 2 (4.54 प्रतिशत) शिक्षक सामाजिक विज्ञान, 6 (13.64 प्रतिशत) शिक्षक गणित, 2 (4.54 प्रतिशत) शिक्षक भौतिक विज्ञान, 5 (11.36 प्रतिशत) शिक्षक राजनीति विज्ञान, 7 (15.91 प्रतिशत) शिक्षक कम्प्यूटर विज्ञान, 3 (6.82 प्रतिशत) शिक्षक अंग्रेजी, 2 (4.54 प्रतिशत) शिक्षक इतिहास, 3 (6.82 प्रतिशत) शिक्षक वाणिज्य, 2 (4.54 प्रतिशत) शिक्षक सामान्य विषय, 3 (6.82 प्रतिशत) शिक्षक हिन्दी, 7 (15.91 प्रतिशत) शिक्षक सामान्य विज्ञान तथा 1–1 शिक्षक भूगोल तथा जीव विज्ञान विषयों का अध्ययन कार्य अपने विद्यालयों में करवा रहे है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु विषय अध्यापक कार्यरत है।

3.5.2 योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों में शिक्षकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है जिससे विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के साथ–साथ सभी विषय अध्यापक कम्प्यूटर के माध्यम से अपना शिक्षण कार्य करवा सके एवं इन्टरनेट, मॉडम, कैमरा आदि के माध्यम से आधुनिक सूचना एवं संचार तकनीकी का विस्तार हो सके। शिक्षकों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण पश्चात् विद्यार्थियों को कम्प्यूटर द्वारा अध्ययन किस रूप में करवाया गया, का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

शिक्षकों को आई.टी.सी.योजनान्तर्गत प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	जिले का नाम	प्रशिक्षण प्राप्त किया			प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया				
		हाँ	नहीं	योग	शिक्षा संकुल	जिला कम्प्यूटर केन्द्र	स्वंय के विद्यालय में	कम्प्यूटर कम्पनी से	सर्व शिक्षा अभियान में
1.	अजमेर	4	–	4	2	1	1	–	–
2.	भरतपुर	2	2	4	–	–	1	1	–
3.	जोधपुर	–	3	3	–	–	–	–	–
4.	जयपुर	5	1	6	–	–	5	–	–
5.	झुन्झुनू	2	11	13	–	–	2	–	–
6.	कोटा	1	7	8	–	–	–	1	–
7.	चित्तौडगढ़	7	1	8	–	–	6	–	1
	योग	**21**	**25**	**46**	**2**	**1**	**15**	**2**	**1**

3.5.3 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि योजनान्तर्गत 21 (45.65 प्रतिशत) शिक्षकों को ही प्रशिक्षण दिया गया तथा 25 (54.35 प्रतिशत) शिक्षक कम्प्यूटर शिक्षा में प्रशिक्षण से वंचित रहे। कम्प्यूटर शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों में से 15 शिक्षकों ने स्वंय के विद्यालय में आयोजित प्रशिक्षण में, 2 शिक्षकों ने आई.टी.सी. योजनान्तर्गत शिक्षा संकुल में आयोजित प्रशिक्षण में, 1 शिक्षक ने सर्व शिक्षा अभियान के दौरान आयोजित प्रशिक्षण में, 2 शिक्षकों ने कम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर से एवं 1 शिक्षक ने जिला कम्प्यूटर केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त किया।

3.5.4 कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों से उनको दिये गये प्रशिक्षण की अवधि एवं प्रशिक्षण की पर्याप्तता की जानकारी संकलित की गयी जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

शिक्षकों को दिये गये प्रशिक्षण की अवधि व पर्याप्तता का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	जिले का नाम	प्रशिक्षण अवधि (दिवसों में)							दिया गया प्रशिक्षण पर्याप्त रहा		
		2	3	4	10	12	15	योग	हाँ	नहीं	योग
1.	अजमेर	–	–	–	2	1	1	4	1	3	4
2.	भरतपुर	1	–	1	–	–	–	2	1	1	2
3.	जोधपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	जयपुर	–	4	1	–	–	–	5	–	5	5
5.	झुन्झुनू	–	1	–	1	–	–	2	1	1	2
6.	कोटा	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1
7.	चित्तौडगढ़	2	5	–	–	–	–	7	4	3	7
	योग	**3**	**10**	**2**	**4**	**1**	**1**	**21**	**7**	**14**	**21**

3.5.5 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि योजनान्तर्गत शिक्षकों को 2 दिवस से 15 दिवस तक का प्रशिक्षण दिया गया जिसे 7 शिक्षकों ने पर्याप्त बताया एवं 14 शिक्षकों ने अपर्याप्त बताया। इस क्रम में सेवा प्रदाता/फर्म के 21 प्रतिनिधियों में से 8 प्रतिनिधियों ने 3 दिवस का, 4 प्रतिनिधियों ने 5 दिवस तक का प्रशिक्षण शिक्षकों को दिये जाने की जानकारी दी, शेष 9 प्रतिनिधियों ने उन्हें प्रशिक्षण नहीं दिये जाने की जानकारी दी। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षकों को पूर्ण प्रशिक्षण योजनान्तर्गत नहीं दिया गया, जो कि आवश्यक था।

3.5.6 चयनित 46 शिक्षकों में से कक्षा–9 से कक्षा–10 तक 11 शिक्षक, कक्षा–11 से कक्षा–12 तक को 4 शिक्षक कम्प्यूटर की शिक्षा का अध्ययन करवा रहे हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	जिले का नाम	चयनित शिक्षक	कक्षावार विवरण			
			कक्षा–9 से 10 तक		कक्षा–11 से 12 तक	
			हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
1.	अजमेर	4	1	3	–	4
2.	भरतपुर	4	3	1	1	3
3.	जोधपुर	3	2	1	–	3
4.	जयपुर	6	–	6	–	6
5.	झुन्झुनू	13	2	11	1	12
6.	कोटा	8	3	5	2	6
7.	चित्तौडगढ़	8	–	8	–	8
	योग	**46**	**11**	**35**	**4**	**42**
	प्रतिशत		**23.91**	**76.09**	**8.70**	**91.30**

3.5.7 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात है कि चयनित शिक्षकों में से 11 (23.91प्रतिशत) माध्यमिक एवं 4 (8.70 प्रतिशत) शिक्षक उच्च माध्यमिक कक्षाओं में कम्प्यूटर शिक्षा का कार्य करवा रहे है, अर्थात् 13 (28.26 प्रतिशत) शिक्षक ही कम्प्यूटर शिक्षा का कार्य करवा रहे हैं, शेष 33 (71.74 प्रतिशत) शिक्षक कम्प्यूटर का शिक्षण कार्य नहीं करवा रहे है। अध्ययन के क्षेत्र कार्य के दौरान मात्र 1 (2.17 प्रतिशत) शिक्षक ही सी.डी. के माध्यम से अध्ययन कार्य करवाना स्वीकार किया तथा 20 (43.48 प्रतिशत) शिक्षक स्वंय के तरीके के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा देना स्वीकार किया, शेष 25 (34.35 प्रतिशत) शिक्षक ने बताया कि वे कम्प्यूटर शिक्षण कार्य नहीं करवाते हैं।

3.5.8 चयनित 46 शिक्षकों से निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन कार्य करवाने के सम्बन्ध में कक्षा–9 को 12 शिक्षक, कक्षा–10 को 9 शिक्षक, कक्षा–11 एवं कक्षा–12 को 1–1 शिक्षक ने अध्ययन कार्य करवाना स्वीकार किया, शेष शिक्षकों ने अध्ययन कार्य करवाने से इन्कार किया जिनका कक्षावार विवरण निम्नानुसार है :–

कम्प्यूटर शिक्षा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार करवायी जा रही है, का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	जिले का नाम	चयनित शिक्षक	कक्षावार विवरण											
			कक्षा–9			कक्षा–10			कक्षा–11			कक्षा–12		
			हाँ	नहीं	उत्तर नहीं दिया	हाँ	नहीं	उत्तर नहीं दिया	हाँ	नहीं	उत्तर नहीं दिया	हाँ	नहीं	उत्तर नहीं दिया
1.	अजमेर	4	1	3	–	1	3	–	–	4	–	–	4	–
2.	भरतपुर	4	3	–	1	3	–	1	1	2	1	1	2	1
3.	जोधपुर	3	2	1	–	2	1	–	–	3	–	–	3	–
4.	जयपुर	6	–	3	3	–	3	3	–	3	3	–	3	3
5.	झुन्झुनू	13	5	4	4	2	6	5	–	7	6	–	7	6
6.	कोटा	8	1	7	–	1	7	–	–	8	–	–	8	–
7.	चित्तौडगढ़	8	–	2	6	–	2	6	–	2	6	–	2	6
	योग	46	12	20	14	9	22	15	1	29	16	1	29	16
	प्रतिशत		26.09	43.48	30.40	19.57	47.83	32.61	2.17	63.04	34.78	2.17	241.69	80.00

3.5.9 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कक्षा–9 को 12 (26.09 प्रतिशत) एवं कक्षा–11 व 12 को मात्र 1 (2.17 प्रतिशत) शिक्षक कम्प्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं, कक्षा–10 को 9 (19.57 प्रतिशत) शिक्षक कम्प्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं।

3.5.10 विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार उपलब्ध संसाधनों को 7 (15.22 प्रतिशत) शिक्षकों ने पर्याप्त, 33 (71.74 प्रतिशत) शिक्षकों ने अपर्याप्त बताया, जबकि 6 (13 प्रतिशत) शिक्षकों ने इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट नहीं किये। इसी कथन की पुष्टि में चयनित 346 विद्यार्थियों में से मात्र 71 (20.52 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने अपनी कक्षा हेतु उपलब्ध करवाये गये कम्प्यूटरों को पर्याप्त एवं 275 (79.48 प्रतिशत) विद्यार्थियों ने अपर्याप्त बताया, जिनका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

कम्प्यूटर शिक्षण हेतु विद्यार्थियों की संख्यानुसार संसाधनों की पर्याप्तता का विवरण

(संख्या)

क्र.सं.	जिले का नाम	पर्याप्त				पर्याप्त			
		शिक्षक उत्तरदाताओं की संख्या	हाँ	नहीं	उत्तर नहीं दिया	विद्यार्थी उत्तरदाताओं की संख्या	हाँ	नहीं	उत्तर नहीं दिया
1.	अजमेर	4	–	4	–	30	–	30	–
2.	भरतपुर	4	1	3	–	36	30	6	–
3.	जोधपुर	3	–	3	–	77	6	64	7
4.	जयपुर	6	–	4	2	49	1	44	4
5.	झुन्झुनू	13	3	7	3	35	–	35	–
6.	कोटा	8	2	6	–	80	22	58	–
7.	चित्तौडगढ़	8	1	6	1	39	2	37	–
	योग	**46**	**7**	**33**	**6**	**346**	**61**	**274**	**11**
	प्रतिशत		**15.22**	**71.74**	**13.00**		**17.63**	**79.19**	**3.18**

3.5.11 विद्यालयों में कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों को पूर्ण जानकारी नहीं है तथा उन्हें पूर्ण प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित भी नहीं किया गया। अतः उचित होगा कि वर्तमान में शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों को इन्टरनेट/मॉडम से विषयवार कम्प्यूटर पर शिक्षण प्रदान कराने हेतु योजनान्तर्गत प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था कर प्रशिक्षित करने की कार्यवाही की जावें, साथ ही नव नियुक्ति होने वाले शिक्षकों हेतु नियमों में विषयवार कम्प्यूटर ज्ञान की अनिवार्यता को लागू किया जावें।

3.5.12 ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को पूर्णरूपेण अंग्रेजी का ज्ञान न होने से उन्हें अंग्रेजी में सॉफ्टवेयर से शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। अतः उचित होगा कि विषयवार हिन्दी में भी सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराये जावें।

————

अध्याय – चतुर्थ

कठिनाइयाँ एवं सुझाव

4.1.0 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आई.सी.टी.योजना छात्र/छात्राओं के लिये बहुत उपयोगी है। इससे शहरी व विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी कम्प्यूटर शिक्षा से तकनीकी की उच्च विधाओं से परिचित होकर अपना भविष्य उज्जवल बनाते हैं। इस सम्बन्ध में क्षेत्र कार्य के दौरान विद्यार्थियों, सरकारी/ गैर–सरकारी उत्तरदाताओं, अनुदेशकों आदि से साक्षात्कार के समय योजना के क्रियान्वयन में महसूस की गयी कठिनाइयों एवं उनके निवारण हेतु दिये गये सुझावों का विवरण निम्नानुसार है :–

4.1.1 आई.सी.टी.योजना के क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर निरीक्षण की महत्ती आवश्यकता होती है। निरीक्षण हेतु पर्याप्त संसाधन, कम्प्यूटर के जानकार एवं प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध नहीं होने से सेवा प्रदाता/फर्म इस क्षेत्र में एकाधिकार के रूप में सेवायें दे रही है जो पर्याप्त गुणवत्ताशील नहीं है। अतः योजना के सुदृढ़ क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त निरीक्षण की व्यवस्था कम्प्यूटर के प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

4.1.2 सेवा प्रदाता/फर्म द्वारा योजनान्तर्गत विद्यार्थियों को अध्ययन कार्य करवाने हेतु जो अनुदेशक उपलब्ध करवाये गये हैं वे ग्रामीण परिवेश के अनुसार शिक्षण कार्य के अनुभव से युक्त नहीं है जिससे विद्यार्थियों को पर्याप्त कम्प्यूटर शिक्षा का सन्तोषप्रद ज्ञान नहीं मिला है। अतः ग्रामीण परिवेश के अनुसार शिक्षण कार्य का अनुभव रखने वाले योग्य अनुदेशकों को नियुक्त किया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को होने वाली कठिनाइयों का निराकरण समय पर किया जा सके।

4.1.3 योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन स्वरूप प्रमाण पत्र/ प्रोत्साहन राशि/ अवकाश अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त करने पर अवकाश का लाभ दिया जा सकता है जिससे कार्मिक रूचि लेकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को पूर्ण जानकारी दी जायेगी तो वे रूचि से अध्ययन कार्य करेंगे तथा विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निराकरण भी समय पर हो सकेगा। साथ ही सेवा प्रदाता/फर्म की सेवा अवधि समाप्त होने पर भी कम्प्यूटर शिक्षण का कार्य निरन्तर चलता रहेगा।

4.1.4 कम्प्यूटर अनुदेशक से विद्यालय में कार्यालय का कार्य करवाया जाता है जिससे शिक्षण कार्य बाधित होता है। अतः कम्प्यूटर अनुदेशक से कम्प्यूटर शिक्षा का कार्य ही करवाया जावें, कार्यालय के कार्यों से उसे मुक्त रखा जावें।

4.1.5 विद्यालय विकास समिति की बैठक में कम्प्यूटर शिक्षा के लिये विचार–विमर्श किया जावें एवं विद्यार्थियों से प्राप्त फीड बैक के अनुसार समय–समय पर आवश्यक सुझावों को क्रियान्वित किया जावें।

4.1.6 सेवा प्रदाता/फर्म के साथ जिला शिक्षा अधिकारी की प्रतिमाह एवं उप निदेशक (शिक्षा) के साथ 3 माह में एक बार बैठक आयोजित की जावें जिसमें कम से कम पांच संस्था प्रधानों को भी आमंत्रित किया जावे एवं अनुभूत की गयी समस्याओं का निराकरण किया जावें।

4.1.7 सेवा प्रदाता/फर्म द्वारा अनुदेशकों की योग्यता एवं वेतन का निर्धारण कर उनकी नियुक्ति समय पर नहीं की जाती है। सामान्यतः सेवा प्रदाता/फर्म अनुदेशक को 2000/– रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। अल्पवेतन होने से अनुदेशक निर्धारित पूरे समय अपनी सेवायें विद्यालय में नहीं देता जिससे कम्प्यूटर शिक्षा का कार्य बाधित होता है। अतः अनुदेशक को उसकी योग्यता एवं कार्यप्रणाली के आधार पर पूर्ण वेतन प्रतिमाह दिया जाना सुनिश्चित किया जावें।

4.1.8 अनुदेशक सामान्यतया विद्यार्थियों को कम्प्यूटर की प्रारम्भिक जानकारी यथा कम्प्यूटर को चालू करना, बन्द करना, गेम खेलना, पेन्टिंग कार्य करना इत्यादि कार्य ही सिखाता है। अनुदेशकों को इन्टरनेट/फर्म द्वारा दी गयी विषयवार सी.डी. से अध्ययन कार्य करवाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण देकर अध्ययन कार्य करवाने हेतु पाबन्द किया जाना चाहिए एवं अध्ययन कार्य का उल्लेख अनुदेशक की दैनिक डायरी में किया जाना चाहिये व इसकी जाँच संस्था प्रधान द्वारा समय–समय पर की जानी चाहिए।

4.1.9 आई.सी.टी.योजनान्तर्गत उपलब्ध करवाये गये संसाधनों यथा–कम्प्यूटर, सी.पी.यू. इत्यादि को विद्यालयों में कार्यालय के कार्यों में उपयोग लिया जाता है इससे विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु संसाधन कम पड़ते हैं व शिक्षण कार्य बाधित होता है। अतः योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये संसाधनों का उपयोग योजना के उद्देश्यों के अनुसार ही किया जावें, यह सुनिश्चित किया जावें।

4.1.10 सेवा प्रदाता/फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये गये संसाधनों की मरम्मत/सुधार का कार्य समय पर नहीं किया जाता है, इससे शिक्षण कार्य बाधित होता है। अतः अनुबन्ध की सेवा शर्तों के अनुसार निर्धारित समय में ही संसाधनों के मरम्मत/सुधार का कार्य किया जाना चाहिए।

4.1.11 योजनान्तर्गत सभी विद्यालयों में निर्धारित संख्या के अनुसार ही संसाधन उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। विद्यालयों में नामांकित छात्र/छात्राओं की संख्या का ध्यान नहीं रखा जाता है, इससे अधिकांश विद्यालयों में छात्र/छात्राओं की संख्या के

अनुपात में संसाधन कम रहते हैं इससे कम्प्यूटर शिक्षा का कार्य योजना के उद्देश्यों के अनुसार नहीं हो पाता है। अतः विद्यालयों में संसाधन उपलब्ध करवाते समय नामांकित छात्र/छात्राओं की संख्या को मध्यनजर रखा जावें।

4.1.12 योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक को विद्यालय के अन्य कार्यों/ अन्य स्थान पर प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है जिससे विद्यालय के प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक विद्यार्थियों को समुचित ज्ञान उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। अतः योजनान्तर्गत प्रशिक्षित शिक्षक को कम्प्यूटर शिक्षा के कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नियुक्त नहीं करना चाहिए।

4.1.13 सामान्यतया योजनान्तर्गत शिक्षकों को मात्र 3 दिवस का प्रशिक्षण ही विद्यालयों में दिया जाता है, जो पर्याप्त नहीं होता है। अतः शिक्षकों को 15 दिवस का प्रशिक्षण योजनान्तर्गत अवकाश के दिनों में दिया जाना चाहिए जिससे विद्यालय का अध्ययन कार्य भी बाधित नहीं होगा। यह प्रक्रिया प्रतिवर्ष दोहरानी चाहिए।

4.1.14 सेवा प्रदाता/फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधन चोरी होने पर उसके स्थान पर अन्य संसाधन उपलब्ध करवाने का अनुबन्ध सेवा शर्तों में किया गया था, किन्तु जिन विद्यालयों में संसाधन/कम्प्यूटर चोरी हो गये उनके स्थान पर नये कम्प्यूटर/संसाधन उपलब्ध नहीं करवाये गये। अतः सेवा प्रदाता/फर्म को सेवा शर्तों के अनुसार संसाधनों के रखरखाव/प्रतिस्थापन की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण करनी चाहिए।

4.1.15 योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों में इन्टरनेट/मॉडम सुविधा उपलब्ध करवाकर पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन कार्य करवाने का प्रावधान है। प्रारम्भ में विद्यालयों में मॉडम उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा इन्टरनेट सुविधा विद्यालयों में उपलब्ध करवा दी जाती है किन्तु वह कार्यरत है या नहीं इसकी सेवा प्रदाता/फर्म द्वारा कभी जाँच नहीं की जाती है। विद्यालयों में उपलब्ध करवायी गयी इन्टरनेट/मॉडम सुविधा कुछ समय बाद बन्द हो हाती है। इससे योजना के उद्देश्यों के अनुसार अध्ययन कार्य नहीं हो पाता है। अतः कम्प्यूटर अध्ययन का कार्य निरन्तर चलता रहे इसकी सेवा प्रदाता/फर्म द्वारा निश्चितता करनी चाहिए।

4.1.16 योजनान्तर्गत आई.सी.टी.लैब में विद्युत के अभाव में कार्य बाधित न हो इसके लिये जनरेटर उपलब्ध करवाया जाता है। जनरेटर हेतु आवश्यक डीजल की व्यवस्था नहीं होने से जनरेटर को चालू ही नहीं किया जाता है इससे जनरेटर पर व्यय की गयी राशि का उपयोग नहीं हो रहा है। अतः जनरेटर हेतु डीजल व्यवस्था का प्रावधान किया जाना चाहिए।

4.1.17 कम्प्यूटर शिक्षा हेतु वांछित सहायक सामग्री यथा–सी.डी., स्टेशनरी इत्यादि इकजाई रूप में विभाग के स्तर पर ही तैयार करवायी जाकर सभी विद्यालयों में छात्र/छात्राओं की संख्या के अनुरूप जुलाई माह तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायी जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसमें होने वाले व्यय की राशि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार सेवा प्रदाता/फर्म से नियमानुसार ली जानी चाहिए।

4.1.18 योजना का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर होता है। सेवा प्रदाता/फर्म/अनुदेशक भी विद्यालय स्तर पर ही कार्य करते हैं। अतः सेवा प्रदाता/फर्म/अनुदेशक को सभी भुगतान विद्यालय स्तर से ही किये जाने चाहि जिससे सेवा प्रदाता/फर्म/अनुदेशक, विद्यालय प्रधान से समय–समय पर योजना के सम्बन्ध में आवश्यक विचार–विमर्श करते रहे।

4.1.19 योजनान्तर्गत कक्षा–11 एवं कक्षा–12 के छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने का प्रावधान है, किन्तु उन्हें योजनान्तर्गत लाभान्वित नहीं किया जा रहा है। अतः योजना के अनुसार कक्षा–11 व कक्षा–12 के छात्र/छात्राओं को भी लाभान्वित किया जावें।

4.2.0 **अध्ययन निष्कर्ष :**

4.2.1 आई.सी.टी.योजना के तहत कम्प्यूटर शिक्षा Boot Model के आधार पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के चयनित 4500 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा–9 से कक्षा–12 तक के छात्र/छात्राओं को संचार एवं तकनीकी सेवायें उपलब्ध करवाने के लिए मार्च 2008 में दो चरणों में प्रारम्भ की गई। योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक 12083 लाख रुपये प्रावधान के विरूद्ध 8696.62 लाख रुपये व्यय किये गये। योजना क्रियान्वयन अन्तर्गत पर्याप्त निरीक्षण व्यवस्था का अभाव, कम्प्यूटर के जानकार प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी, सेवा प्रदाता/फर्म द्वारा नियुक्त अनुदेशकों को ग्रामीण क्षेत्र के अनुभव का अभाव, योजनान्तर्गत उपलब्ध करवाये गये संसाधनों (कम्प्यूटरों) के रखरखाव/सुधार की व्यवस्था का अभाव एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में पूर्णरूपेण अंग्रेजी ज्ञान न होने से हिन्दी में अनुपलब्ध सॉफ्टवेयर से योजना का सुदृढ़ क्रियान्वयन नहीं हो पाया। अतः योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निरीक्षण व्यवस्था के लिए कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त प्रशिक्षित कार्मिकों से निरीक्षण कराना चाहिए जिससे वे निरीक्षण के समय तकनीकी जानकारी भी दे सके। वर्तमान में नियुक्त शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण देकर इन्टरनेट से कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाने हेतु प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस हेतु ग्रामीण परिवेश का अनुभव रखने वाले योग्य व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, साथ ही हिन्दी में सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाने से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा में सुगमता रहेगी।

————

परिशिष्ट–I

योजनान्तर्गत जिलेवार एवं वर्षवार वित्तीय प्रगति का विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र सं.	जिला	2008–09				2009–10				2010–11									
		आवंटन	व्यय			आवंटन	व्यय			आवंटन			व्यय						
			राज्य	केन्द्र	योग		राज्य	केन्द्र	योग	फेस–I	फेस–II	योग	फेस–I			फेस–II			योग फेस–I & II
													राज्य	केन्द्र	योग	राज्य	केन्द्र	योग	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	अजमेर	40.82	9.53	28.59	38.12	163.30	-	117.30	117.30	197.60	57.42	255.02	-	135.82	135.82	-	-	-	135.82
2	नागौर	45.74	9.97	29.90	39.87	182.95	-	141.30	141.30	220.87	72.73	293.60	-	133.34	133.34	-	47.40	47.40	180.74
3	भीलवाडा	35.91	8.29	24.87	33.16	143.64	-	132.66	132.66	143.64	61.25	204.89	-	115.28	115.28	-	31.03	31.03	146.31
4	टोंक	24.19	6.01	18.02	24.03	96.77	-	90.54	90.54	126.13	38.28	164.41	-	76.95	76.95	-	19.10	19.10	96.05
5	भरतपुर	35.70	6.18	18.55	24.73	142.80	-	89.49	89.49	142.80	47.36	190.16	-	70.63	70.63	-	20.18	20.18	90.81
6	धौलपुर	12.60	2.59	7.76	10.35	50.40	-	44.31	44.31	50.40	12.92	63.32	-	36.83	36.83	-	7.18	7.18	44.01
7	करौली	21.42	3.78	11.33	15.11	85.68	-	77.28	77.28	85.68	30.14	115.82	-	26.41	26.41	-	17.58	17.58	43.99
8	स.माधोपुर	17.64	3.57	10.70	14.27	70.56	-	43.82	43.82	70.56	21.53	92.09	-	16.68	16.68	-	21.00	21.00	37.68
9	चूरू	33.26	5.86	17.57	23.43	133.06	-	101.80	101.80	154.10	51.46	205.56	-	133.06	133.06	-	24.73	24.73	157.79
10	बीकानेर	22.68	2.02	6.07	8.09	102.50	-	82.13	82.13	99.16	35.63	134.79	-	68.72	68.72	-	23.08	23.08	91.80
11	हनुमानगढ़	24.19	3.63	10.88	14.51	96.77	-	57.80	57.80	99.29	39.58	138.87	-	86.02	86.02	-	19.40	19.40	105.42
12	श्रीगंगानगर	28.73	4.37	13.12	17.49	114.91	-	65.67	65.67	117.43	51.46	168.89	-	80.00	80.00	-	34.98	34.98	114.98
13	झुन्झुनू	45.74	9.55	28.64	38.19	182.95	-	158.29	158.29	182.95	83.13	266.08	-	182.91	182.91	-	58.36	58.36	241.27
14	जयपुर	73.36	14.81	44.43	59.24	293.44	213.46	-	213.46	362.17	137.32	499.49	-	161.30	161.30	-	-	-	161.30
15	अलवर	55.98	10.07	30.20	40.27	223.94	55.41	-	55.41	238.61	95.37	333.98	152.96	-	152.96	-	6.59	6.59	159.55
16	सीकर	44.40	7.43	22.30	29.73	177.60	124.19	-	124.19	211.57	72.48	284.05	127.62	-	127.62	-	17.24	17.24	144.86
17	दौसा	20.46	4.29	12.87	17.16	81.85	53.35	-	53.35	81.85	30.52	112.37	58.84	-	58.84	-	10.54	10.54	69.38
18	जोधपुर	42.07	7.48	22.43	29.91	168.29	103.59	-	103.59	217.63	69.75	287.38	-	117.30	117.30	52.51	-	52.51	169.81
19	जैसलमेर	7.94	0.30	0.89	1.19	31.75	-	27.24	27.24	31.75	7.42	39.17	-	17.61	17.61	3.60	-	3.60	21.21
20	बाड़मेर	25.01	3.05	9.14	12.19	100.02	-	50.05	50.05	106.77	38.58	145.35	-	48.63	48.63	19.66	-	19.66	68.29
21	सिरोही	15.48	1.67	5.02	6.69	61.92	-	31.52	31.52	67.21	21.52	88.73	-	42.81	42.81	15.77	-	15.77	58.58
22	जालौर	19.85	3.58	10.75	14.33	79.38	-	52.06	52.06	93.54	29.68	123.22	-	18.28	18.28	21.79	-	21.79	40.07
23	पाली	34.13	6.97	20.90	27.87	136.53	-	99.30	99.30	136.53	55.65	192.18	-	87.63	87.63	46.50	-	46.50	134.13

क्र सं.	जिला	2008–09				2009–10				2010–11									
		आवंटन	व्यय			आवंटन	व्यय			आवंटन			व्यय						
			राज्य	केन्द्र	योग		राज्य	केन्द्र	योग	फेस–I	फेस–II	योग	फेस–I			फेस–II			योग फेस–I & II
													राज्य	केन्द्र	योग	राज्य	केन्द्र	योग	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
24	कोटा	22.62	4.40	13.21	17.61	90.49	-	75.50	75.50	94.08	32.63	126.71	-	23.56	23.56	26.84	-	26.84	50.40
25	बून्दी	18.32	3.34	10.01	13.35	73.26	-	46.64	46.64	79.24	21.99	101.23	-	70.58	70.58	14.69	-	14.69	85.27
26	बांरा	15.80	3.47	10.42	13.89	63.20	-	46.44	46.44	63.80	19.15	82.95	-	45.99	45.99	14.57	-	14.57	60.56
27	झालावाड़	21.55	4.94	14.81	19.75	86.18	-	71.47	71.47	95.88	32.63	128.51	-	83.42	83.42	27.94	-	27.94	111.36
28	उदयपुर	48.17	9.33	28.00	37.33	192.67	-	85.40	85.40	192.67	78.20	270.87	115.61	-	115.61	-	44.54	44.54	160.15
29	राजसमन्द	26.89	5.52	16.56	22.08	107.58	-	32.66	32.66	107.58	45.49	153.07	107.58	-	107.58	-	45.49	45.49	153.07
30	डूंगरपुर	25.29	3.80	11.41	15.21	101.15	-	81.89	81.89	107.04	40.70	147.74	105.02	-	105.02	-	39.68	39.68	144.70
31	बांसवाडा	26.49	6.49	19.47	25.96	105.97	-	102.11	102.11	105.97	43.09	149.06	-	97.69	97.69	-	43.09	43.09	140.78
32	चित्तौडगढ़	37.73	7.96	23.89	31.85	150.92	-	123.63	123.63	150.93	53.47	204.40	-	101.65	101.65	-	44.51	44.51	146.16
33	प्रतापगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.35	18.35	-	-	-	-	19.15	19.15	19.15
	योग	**970.16**	**184.25**	**552.71**	**736.96**	**3892.43**	**550.00**	**2128.30**	**2678.30**	**4235.43**	**1546.88**	**5782.31**	**667.63**	**2079.10**	**2746.73**	**243.87**	**594.85**	**838.72**	**2821.44**
	सॉफ्टवेयर	785.11	196.28	588.83	785.11	-	-	-	-	-	910.87	910.87	-	-	-	227.72	683.15	910.87	910.87
	महायोग	**1755.27**	**380.53**	**1141.54**	**1522.07**	**3892.43**	**550.00**	**2128.30**	**2678.30**	**4235.43**	**2457.75**	**6693.18**	**667.63**	**2079.10**	**2746.73**	**471.59**	**1278.00**	**1749.59**	**3732.31**

परिशिष्ट–II

जिलेवार बूट के तहत विद्यालयों की संख्या एवं स्थापित आई.सी.टी.लैब की प्रगति

क्र. सं.	जिले का नाम	अनुबन्धित विद्यालयों की संख्या			विद्यालयों की संख्या जहाँ					
		2008–09	2010–11	योग	कम्प्यूटर लैब स्थापित	हार्डवेयर प्राप्त	हार्डवेयर इन्स्टॉल्ड	साफ्ट–वेयर इन्स्टॉल्ड	अनुदेशक नियुक्त	कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ
1	जयपुर–I	95	90	185	185	185	185	185	185	185
2	जयपुर–II	95	90	185	185	185	185	185	185	185
3	अलवर–I	58	50	108	108	108	108	108	108	108
4	अलवर–II	87	75	162	162	162	162	162	162	162
5	सीकर–I	60	50	110	110	110	110	110	110	110
6	सीकर–II	55	45	100	100	100	100	100	100	100
7	दौसा	53	40	93	93	93	93	93	93	93
8	जोधपुर	106	94	200	200	200	200	200	200	200
9	जैसलमेर	20	10	30	30	30	30	30	30	30
10	बाड़मेर	63	52	115	115	115	115	115	115	115
11	सिरोही	39	29	68	68	68	68	68	68	68
12	जालौर	50	40	90	90	90	90	90	90	90
13	पाली	86	75	161	161	161	161	161	161	161
14	उदयपुर–I	53	43	96	96	96	96	96	96	96
15	उदयपुर–II	67	57	124	124	124	124	124	124	124
16	राजसमन्द	67	57	124	124	124	124	124	124	124
17	डूंगरपुर	63	51	114	114	114	114	114	114	114
18	बांसवाडा	66	56	122	122	122	122	122	122	122
19	चित्तौडगढ़	94	86	180	180	180	180	180	180	180
20	कोटा	63	46	109	109	109	109	109	109	109
21	बूंदी	51	31	82	82	82	82	82	82	82
22	बांरा	44	27	71	71	71	71	71	71	71
23	झालावाड	60	46	106	106	106	106	106	106	106
24	अजमेर–I	65	55	120	120	120	120	120	120	120
25	अजमेर–II	43	20	63	63	63	63	63	63	63
26	नागौर–I	56	45	101	101	101	101	101	101	101
27	नागौर–II	65	50	115	115	115	115	115	115	115
28	भीलवाडा–I	47	45	92	92	92	92	92	92	92
29	भीलवाडा–II	48	35	83	83	83	83	83	83	83
30	टोंक	64	50	114	114	114	114	114	114	114
31	चूरू	88	65	153	153	153	153	153	153	153
32	बीकानेर	60	45	105	105	105	105	105	105	105
33	हनुमानगढ़	64	50	114	114	114	114	114	114	114
34	श्रीगंगानगर	76	65	141	141	141	141	141	141	141
35	झुन्झुनू	121	105	226	226	226	226	226	226	226
36	भरतपुर–I	55	40	95	95	95	95	95	95	95
37	भरतपुर–II	30	15	45	45	45	45	45	45	45
38	धौलपुर	30	15	45	45	45	45	45	45	45
39	करौली	51	35	86	86	86	86	86	86	86
40	सवाईमाधोपुर	42	25	67	67	67	67	67	67	67
	योग	**2500**	**2000**	**4500**	**4500**	**4500**	**4500**	**4500**	**4500**	**4500**

परिशिष्ट–III

योजनान्तर्गत जिलेवार एवं वर्षवार लाभान्वित छात्र/छात्राओं का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल छात्र संख्या कक्षा 9 से 12 तक													
		2008–09			2009–10			2010–11			योग			प्रतिशत	
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	अजमेर–I	6551	3467	10018	6512	3548	10060	7553	4443	11996	20616	11458	32074	64.27636	35.72364
2	अजमेर–II	8895	2506	11401	10217	3095	13312	10976	3900	14876	30088	9501	39589	76.00091	23.99909
3	भीलवाडा–I	5380	3174	8554	5150	3110	8260	5646	3726	9372	16176	10010	26186	61.77347	38.22653
4	भीलवाडा–II	5695	2351	8046	5990	2470	8460	6024	2735	8759	17709	7556	25265	70.09301	29.90699
5	नागौर–I	5726	3902	9628	5600	4002	9602	6706	4372	11078	18032	12276	30308	59.49584	40.50416
6	नागौर–II	5726	3902	9628	5600	4102	9702	6706	4372	11078	18032	12376	30408	59.30018	40.69982
7	टोंक	14272	7151	21423	14981	7439	22420	15957	7897	23854	45210	22487	67697	66.78287	33.21713
8	भरतपुर–I	8835	5196	14031	9174	6046	15220	9209	7086	16295	27218	18328	45546	59.75936	40.24064
9	भरतपुर–II	6490	2998	9488	6429	2901	9330	5832	2914	8746	18751	8813	27564	68.02714	31.97286
10	धौलपुर	8104	3604	11708	8356	4419	12775	8064	5089	13153	24524	13112	37636	65.16102	34.83898
11	करौली	6943	1267	8210	7146	1739	8885	6321	1234	7555	20410	4240	24650	82.79919	17.20081
12	सवाईमाधोपुर	10284	4019	14303	10412	4123	14535	10607	4348	14955	31303	12490	43793	71.47946	28.52054
13	बीकानेर	12614	6440	19054	14261	7118	21379	15831	8239	24070	42706	21797	64503	66.20777	33.79223
14	चूरू	14844	9228	24072	16068	10702	26770	16045	11305	27350	46957	31235	78192	60.05346	39.94654
15	हनुमानगढ़	1148	763	1911	1276	871	2147	2668	2071	4739	5092	3705	8797	57.88337	42.11663
16	झुन्झुनू	7402	6424	13826	6502	4218	10720	8210	6145	14355	22114	16787	38901	56.84687	43.15313
17	श्रीगंगानगर	9817	8488	18305	10897	9599	20496	10742	9630	20372	31456	27717	59173	53.15938	46.84062
18	अलवर–I	6991	4263	11254	7427	4952	12379	8341	6199	14540	22759	15414	38173	59.62067	40.37933
19	अलवर–II	15919	9324	25243	15519	10206	25725	14725	10167	24892	46163	29697	75860	60.85289	39.14711
20	दौसा	8284	4127	12411	6912	3790	10702	5836	4767	10603	21032	12684	33716	62.37988	37.62012
21	जयपुर–II	16343	9991	26334	17700	11908	29608	28040	17960	46000	62083	39859	101942	60.90032	39.09968
22	जयपुर–I	23445	13862	37307	24981	16139	41120	21382	17391	38773	69808	47392	117200	59.56314	40.43686
23	सीकर–I	6871	6143	13014	7003	6398	13401	7354	6703	14057	21228	19244	40472	52.45108	47.54892
24	सीकर–II	10928	8218	19146	10848	8719	19567	11778	9882	21660	33554	26819	60373	55.57782	44.42218

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल छात्र संख्या कक्षा 9 से 12 तक													
		2008–09			2009–10			2010–11			योग			प्रतिशत	
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
25	बाड़मेर	4969	2932	7901	11799	5260	17059	23454	9705	33159	40222	17897	58119	69.20628	30.79372
26	जैसलमेर	773	110	883	1175	156	1331	1614	192	1806	3562	458	4020	88.60697	11.39303
27	जालौर	2322	582	2904	2581	646	3227	3189	796	3985	8092	2024	10116	79.99209	20.00791
28	जोधपुर	30697	15222	45919	32789	16671	49460	42399	20523	62922	105885	52416	158301	66.8884	33.1116
29	पाली	10669	4793	15462	10097	4734	14831	9907	5522	15429	30673	15049	45722	67.08587	32.91413
30	सिरोही	8903	2838	11741	9546	3088	12634	11252	4094	15346	29701	10020	39721	74.77405	25.22595
31	बांरा	4814	1611	6425	3762	1202	4964	3736	1464	5200	12312	4277	16589	74.21786	25.78214
32	बूंदी	3875	2796	6671	4081	2812	6893	5130	3399	8529	13086	9007	22093	59.23143	40.76857
33	झालावाड़	7591	3223	10814	6309	3264	9573	6524	3622	10146	20424	10109	30533	66.89156	33.10844
34	कोटा	3873	3144	7017	3048	3043	6091	3892	3863	7755	10813	10050	20863	51.8286	48.1714
35	बांसवाडा	19105	11306	30411	19736	11862	31598	21528	12648	34176	217194	95638	312832	69.42832	30.57168
36	चित्तौडगढ़	8326	3969	12295	7649	3784	11433	4696	2573	7269	241149	108622	349771	68.94482	31.05518
37	डूंगरपुर	8244	6388	14632	6478	5834	12312	7960	6106	14066	263582	126745	390327	67.52851	32.47149
38	प्रतापगढ़	0	0	0	4252	2565	6817	3850	2720	6570	248264	126210	374474	66.29673	33.70327
39	राजसमन्द	4303	3091	7394	4372	3005	7377	4939	3335	8274	239075	130507	369582	64.68794	35.31206
40	उदयपुर–I	8322	5446	13768	15365	7968	23333	11736	7860	19596	148325	101241	249566	59.43318	40.56682
41	उदयपुर–II	11268	6652	17920	11162	6888	18050	14111	9659	23770	253944	180685	434629	58.42776	41.57224
	योग	**365561**	**204911**	**570472**	**389162**	**224396**	**613558**	**430470**	**260656**	**691126**	**2599324**	**1435952**	**4035276**	**64.41502**	**35.58498**